वार्षिक रिपोर्ट 1992 - 93

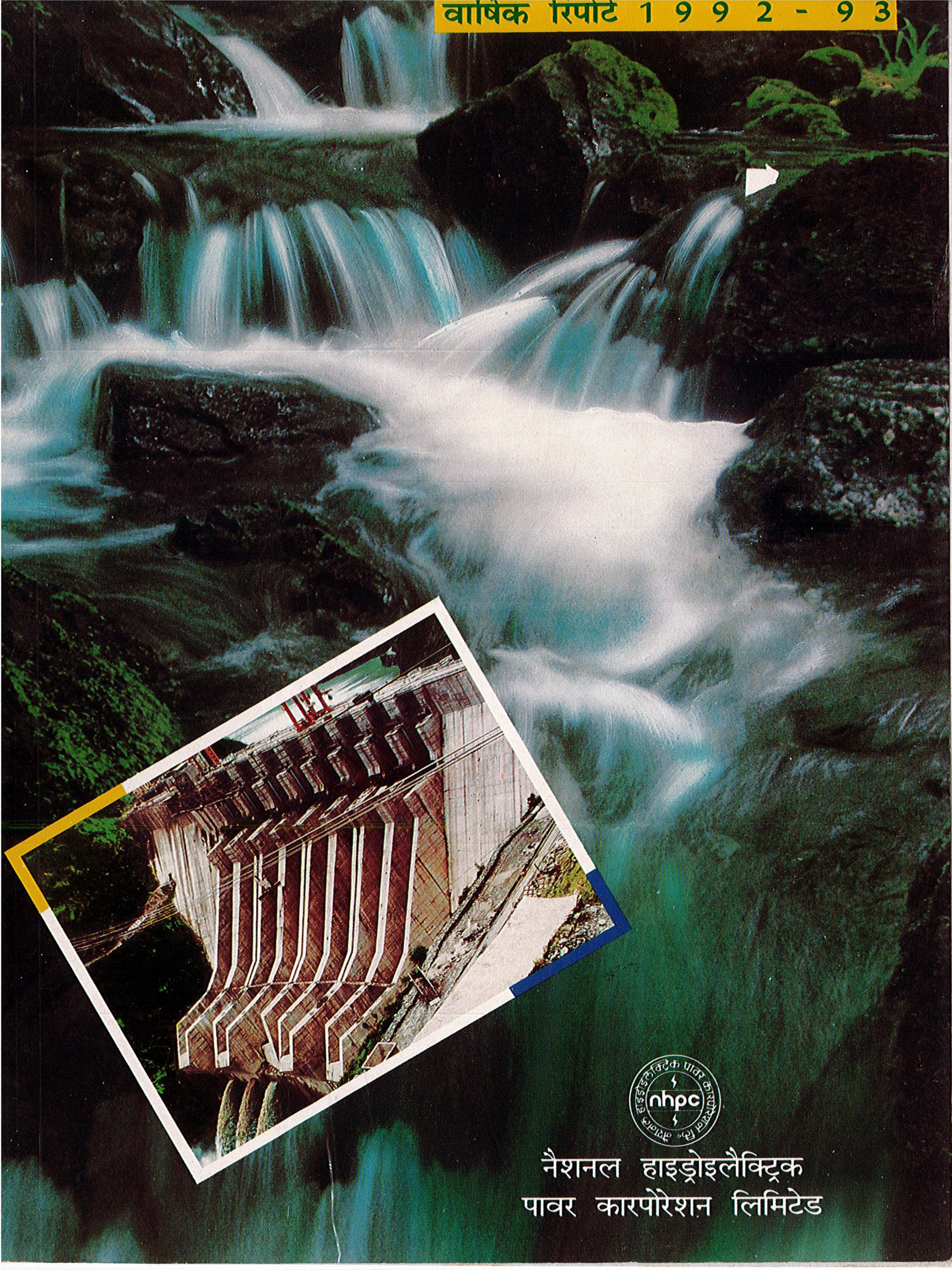

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर कारपोरेशन लिमिटेड

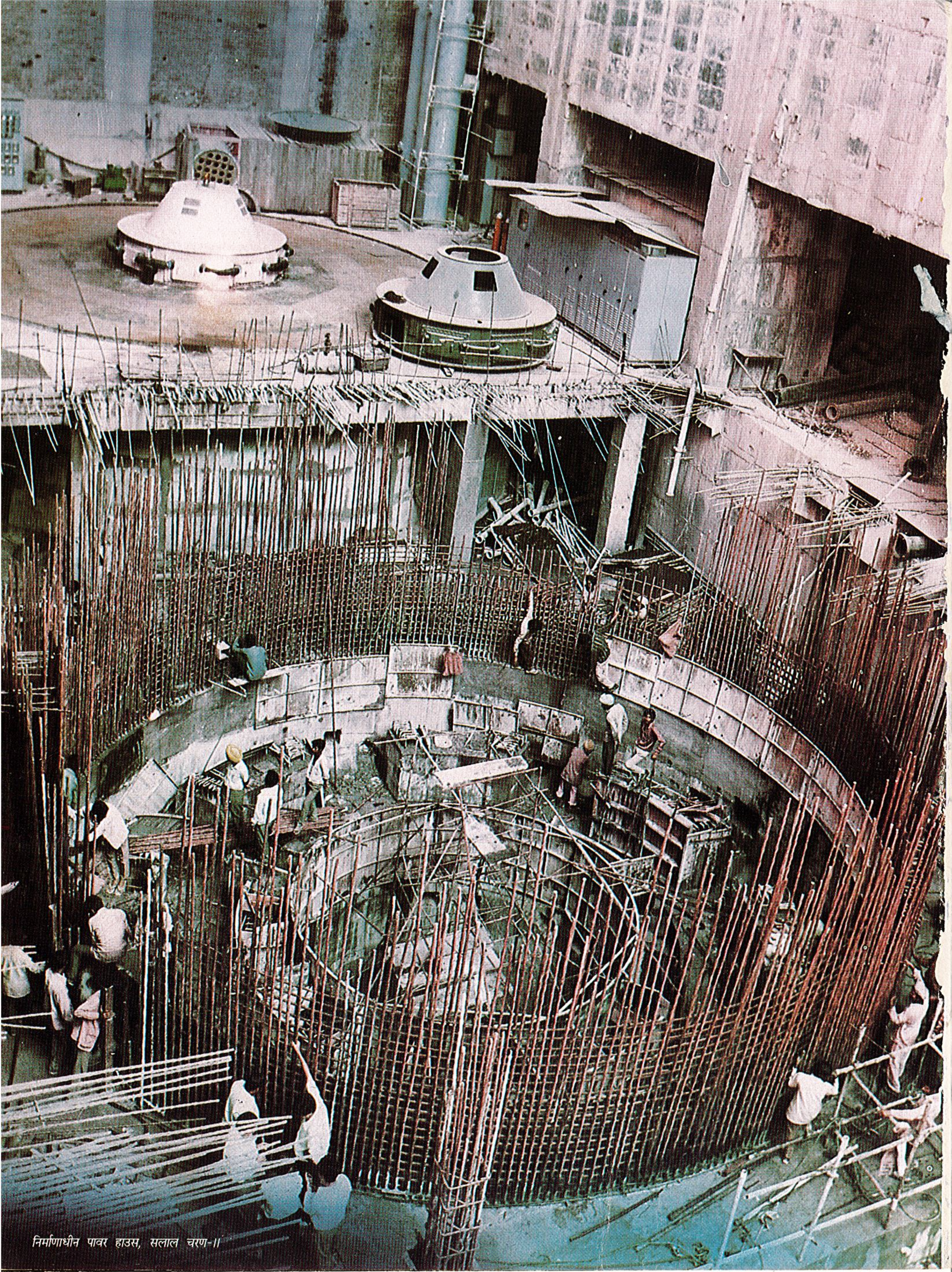

निर्माणाधीन पावर हाउस, सलाल चरण-II

विषय-सूची

निदेशक मण्डल 2

अध्यक्षीय भाषण 3

निदेशकों की रिपोर्ट 6

लेखे 20

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 35

भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ 39

निदेशक मंडल

(29.9.1993 को)

श्री अजय दुआ

श्री के.के. वोहरा

श्री ए.आई. बुनेट

कुमारी ई. डिवेटिया

श्री वी.के. दीवान

श्री टी. सेथुमाधवन

श्री एस.आर. नरसिम्हन

श्री ए.बी. जोशी

कंपनी सचिव
श्री एन. सीतारमन

लेखापरीक्षक :

सांविधिक लेखापरीक्षक :
मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
36, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110 002

संयुक्त शाखा लेखापरीक्षक :
मैसर्स हिंगोरानी एम. एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
35, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110 002

मैसर्स दीवान एण्ड गुलाटी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
1049, चौथी मंजिल, मेन बाजार,
पहाड़गंज, नई दिल्ली-110 055

शाखा लेखापरीक्षक :
मैसर्स एन. सरकार एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 072

बैंकर्स :
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजीकृत कार्यालय : "हेमकुन्ट टावर", 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

अध्यक्षीय भाषण

साथियों,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 187.90 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार करके 41.49 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। यद्यपि इस वर्ष में कारोबार और लाभ दोनों ही पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम रहे हैं तथापि उत्पादित और बेची गई बिजली की मात्रा पहले से अधिक रही है। पिछले वर्ष की 3567 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान 3639.05 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गई। यह बिजली उत्पादन विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य से लगभग 8% अधिक था। इसके बावजूद भी संपूर्ण बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम थी क्योंकि वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी ट्रांसमिशन लाइनें नए गठित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी गईं थीं, जिनकी वसूलियाँ अब पावर ग्रिड को प्राप्त हो रही हैं।

कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान जम्मू व कश्मीर में सलाल (चरण-2 यूनिट-4) परियोजना के 115 मेगावाट की एक अतिरिक्त यूनिट का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस यूनिट से उत्तरी क्षेत्र के लाभभोक्ता राज्यों को अब नियमित रूप से बिजली दी जा रही है। चमेरा चरण-1 (540 मे.वा.) का कार्य अंतिम चरण में है और संचालन-पूर्व की अंतिम गतिविधियां प्रगति पर हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ी जल विद्युत परियोजना का काम एक वर्ष से अधिक समय तक रुके रहने के पश्चात् इस वर्ष फिर से शुरू कर दिया गया है। परियोजना के सभी हिस्सों पर अब तेजी से काम चल रहा है। यदि प्रगति इसी तेजी से जारी रही तो इस परियोजना के 1996 तक पूरा होने की आशा है किन्तु, जम्मू-कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना का कार्य अभी भी स्थगित है। इसका कार्य फ्रेंच कंसोर्टियम को टर्नकी आधार पर दिया गया है और इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य पुनः आरंभ करने के लिए फ्रेंच कंसोर्टियम से बातचीत की जा रही है। ठेकेदारों द्वारा उठाए गए वित्तीय पहलुओं को देखने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस परियोजना का कार्य फिर से जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए कारपोरेशन भरसक प्रयास कर रही है।

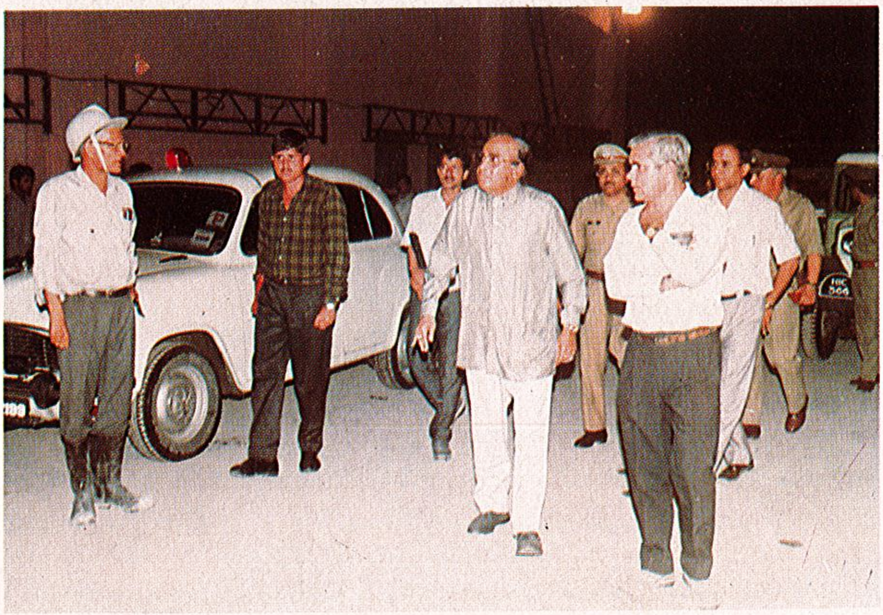

माननीय ऊर्जा मंत्री श्री एन.के.पी. साल्वे द्वारा चमेरा परियोजना, पावर हाउस का निरीक्षण।

चमेरा चरण-II परियोजना (300 मे.वा.) के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था पर टर्नकी निष्पादन हेतु विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये

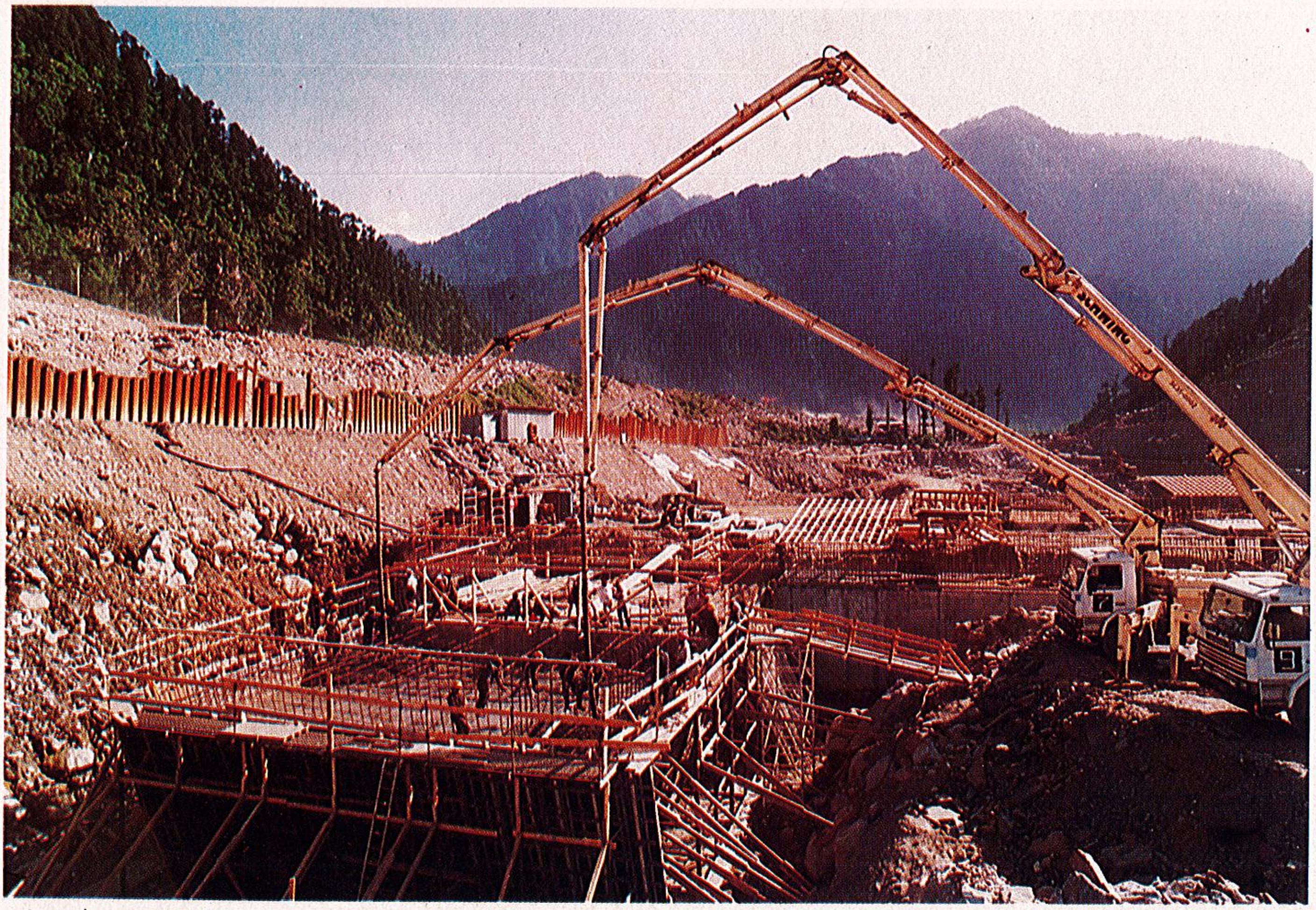

निर्माणाधीन बैराज — उड़ी परियोजना।

तकनीकी और वित्तीय निविदाएं नवम्बर, 1993 में खोली जाएंगी। कारपोरेशन को भूटान में 45 मे..वा. की कुरिचू जल विद्युत परियोजना का निष्पादन कार्य सौंपने का भी भारत सरकार ने संकेत दिया है, जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। कारपोरेशन ने इस परियोजना के भू-वैज्ञानिक व अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए हैं।

भारत सरकार ने 1200 मे.वा. की तीस्ता (चरण-III) परियोजना सिक्किम सरकार को वापस लेने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है, जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी से निष्पादित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने जम्मू व कश्मीर की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादन के लिए राज्य सरकार को वापस देने का भी निर्णय हाल ही में लिया है। भारत के बिजली उत्पन्न करने वाले अन्य संगठनों की तरह ही कारपोरेशन पर भी पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार संसाधनों की कमी से विशेषकर सिक्किम में रंगित परियोजना का निर्माण कार्य पिछड़ा है। अन्य बातों के साथ-साथ इसी कमी के कारण उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा और बिहार में कोयलकारो परियोजना के काम की गति में भी तेजी नहीं लाई जा सकी है।

वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड भी उत्तरदायी हैं, जिन्होंने खरीदी गई बिजली की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। कारपोरेशन की विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की तरफ 31.3.93 तक कुल 191.79 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। इस राशि की शीघ्र वसूली के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें विद्युत मंत्रालय से भी सहायता ली गई है। लेकिन स्थिति अभी दयनीय है और वसूली जाने वाली राशि 11 महीने के औसत बिल के बराबर हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब कुछ अनचाहे तरीके अपनाने की जरूरत है, जिसमें वास्तविक अदायगी दरों पर बिजली देना भी शामिल है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें बिजली प्राप्त करने वाले राज्य बिजली बोर्डों को केवल अपरिवर्तनीय

ऋण-पत्रों के खोलने पर ही बिजली देने का सुझाव सरकार के समक्ष पेश करना भी शामिल है।

कारपोरेशन ने अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के विचार से हाल ही में एक परिपूर्ण कंसल्टेंसी विंग स्थापित किया है। यह विंग देश में सार्वजनिक क्षेत्रों की उभरती हुए विविध जल विद्युत परियोजनाओं को एक ही स्थान पर विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस विंग की स्थापना के संबंध में आरंभिक प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

कारपोरेशन के कार्य के लिए उपलब्ध जनशक्ति पर विचार करने के लिए प्रबंधवर्ग ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरंभ की है। इसकी आरंभिक प्रतिक्रिया अधिक उत्साहजनक नहीं रही किन्तु बाद में बहुत से कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया है और अप्रैल व जुलाई, 93 के बीच 287 कर्मचारियों ने सेवा निवृत्ति का विकल्प चुना है। यही योजना एक बार फिर आरंभ की गई है और आशा है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस अवसर का लाभ उठाएंगे। कारपोरेशन के प्रबंध-वर्ग ने प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्तर के स्टाफ को बारी-बारी से बाहर भेजना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में अर्जित अनुभव का लाभ परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है और परियोजनाओं में विकसित जानकारी व कुशलता को मुख्यालय में परियोजनाओं और कार्यक्रमों की डिजाइनिंग व मॉनीटरिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी स्टाफ को स्थानांतरित किया जा रहा है। कारपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली से फरीदाबाद स्थानांतरित करने के लिए फरीदाबाद में कार्यालय परिसर तैयार किया जा रहा है।

माननीय ऊर्जा मंत्री श्री एन.के.पी. साल्वे चमेरा परियोजना में अस्पताल का उद्घाटन करते हुए।

मैं आप सभी, प्रबंध वर्ग और एन.एच.पी.सी. स्टाफ की ओर से विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, जल-संसाधन मंत्रालय व देश और विदेशों की विविध वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें समय-समय पर माननीय श्री एन.पी.के. साल्वे, केन्द्रीय विद्युत मंत्री व श्री आर. वासुदेवन, सचिव, विद्युत मंत्रालय का मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है।

मैं इस अवसर पर एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों की निष्ठा की भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कठिन कार्यों को हाथ में लेकर अपनी कार्यक्षमता दिखाई है। मुझे आशा है कि वे एन.एच.पी.सी. के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर पिछले वित्त वर्ष के अंत में सेवामुक्त हुए श्री जी.पी. सिंह, पूर्व सी.एम.डी., द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान एन.एच.पी.सी. में विभिन्न पदों पर रहते हुए किए गए प्रयासों का भी विशेष उल्लेख करता हूँ।

(अजय दुआ)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
29 सितंबर, 1993

निदेशकों की रिपोर्ट

वर्ष 1992-93 के लिए हिस्सेदारों की सेवा में

1. निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

एन.एच.पी.सी. ने वर्ष 1992-93 के दौरान बहुत अच्छा कार्य निष्पादन किया है। कारपोरेशन ने वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है तथा सर्वोत्तम प्रगति प्राप्त की है। कारपोरेशन की संचालित यूनिटों— लोकतक, बैरास्यूल, टनकपुर तथा सलाल में 3380 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विद्युत उत्पादन 3639.05 मिलियन यूनिट हुआ। इस प्रकार विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में 107.66% की उपलब्धि हुई। वर्ष 1993-94 के दौरान जून, 1993 तक एन.एच.पी.सी. की सभी संचालित परियोजनाओं से 1144 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 1221.95 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया।

(क) बैरास्यूल पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश

वर्ष के दौरान बैरास्यूल पावर स्टेशन में 750 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 830.01 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ, जिसमें 110.67% की उपलब्धि रही। वर्ष 1993-94 के दौरान जून, 1993 तक इस पावर स्टेशन में 300 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 327.474 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ।

(ख) लोकतक पावर स्टेशन, मणिपुर

लोकतक पावर स्टेशन, मणिपुर में 410 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 545.57 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। इस प्रकार लक्ष्य में 133.06% की उपलब्धि हुई। 448 मिलियन यूनिट की वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में कुल क्षमता उपयोगिता 121.78% रही थी।

वर्ष 1993-94 के दौरान पावर स्टेशन में जून, 93 तक 103 मिलियन यूनिट की तुलना में 160.62 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ।

(ग) सलाल (चरण-I) पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर

सलाल पावर स्टेशन में वर्ष 1992-93 के दौरान 2068 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 2098.91 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। वर्ष के दौरान लक्ष्य में 101.49% की उपलब्धि हुई तथा 2038 मिलियन यूनिट की वार्षिक विद्युत क्षमता के आधार पर क्षमता उपयोगिता 102.99% रही।

वर्ष 1993-94 के दौरान जून, 93 तक सलाल पावर स्टेशन में 682 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में विद्युत उत्पादन 656.05 मिलियन यूनिट रहा। यह विद्युत उत्पादन तिमाही में ट्रांसमिशन समस्याओं के कारण लक्ष्य की तुलना में कम रहा है।

(घ) टनकपुर पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश

टनकपुर जल विद्युत परियोजना की सभी तीनों यूनिटें अप्रैल, 1992 तक संस्थापित कर ली गई थीं। तकनीकी समस्याओं के कारण विद्युत उत्पादन निर्धारित क्षमता पर शुरू नहीं हुआ था और यह संस्थापित क्षमता से बहुत ही कम था। पावर चैनल में आई सीपेज सहित तकनीकी समस्याओं को अब हल कर लिया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान जून, 93 तक टनकपुर परियोजना से 59 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 77.81 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ।

2. ट्रांसमिशन लाइनें

अधिग्रहण तथा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के हस्तान्तरण सम्बन्धी अधिनियम, 1993 के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तथा उत्तर-पूर्वी इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की सभी ट्रांसमिशन लाइनें (जम्मू-कश्मीर राज्य की ट्रांसमिशन लाइनों के अलावा) केन्द्र सरकार को हस्तान्तरित तथा सौंपी गई थीं और जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से पुनः पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

3. संचालित परियोजनाएं

कारपोरेशन की निम्नलिखित संचालित परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैः—

श्री अजय दुआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टनकपुर परियोजना के मॉडल का निरीक्षण करते हुए।

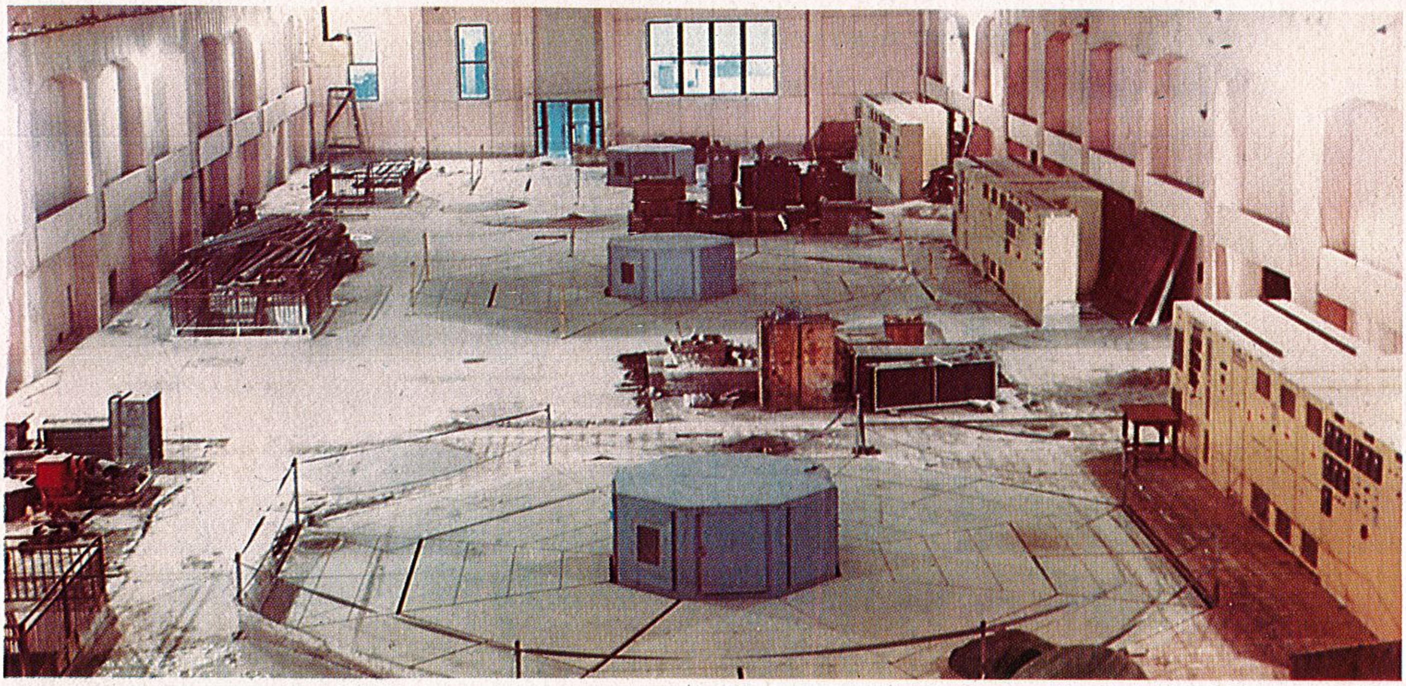

पावर हाउस — चमेरा परियोजना।

(क) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (3×180 मे.वा.) हिमाचल प्रदेश

वर्ष के दौरान स्ल्यूस गेटों और स्पिलवे रेडियल गेटों के उत्थापन सहित कंक्रीट बांध के सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे। यहां 9.5 मीटर व्यास की 2.5 कि.मी. लम्बी टेलरेस चैनल और आउटलेट गेट भी पूरे कर लिए गए थे। पावर हाउस की सभी तीनों यूनिटें अधिष्ठापित कर ली गई हैं। गैलरी में 10 ट्रांसफार्मर भी स्थापित कर दिए गए हैं। जी.आई.एस. तथा ऑयल फिल्ड केबिल को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। 6.5 कि.मी. लम्बी पावर टनल के फेस-2, 5 और 6 पूरे कर लिए गए हैं। फेस-3 तथा 3क के बीच बैंचिंग तथा ओवर्ट लाइनिंग पूरी कर ली गई थी और केवल 400 मीटर इन्वर्ट लाइनिंग शेष रह गई है। पावर टनल के नाजुक क्षेत्र में कार्य की प्रगति फेस-3बी और 4 के बीच केविटी के कारण प्रभावित हुई थी। केविटी का उपचार पूरा कर लिया गया था और पावर टनल की अन्य गतिविधियां वर्ष के अन्त तक प्रगति पर थीं।

जून, 1993 के अन्त तक पावर टनल के कुल 6443 मी. में से 6318 मी. की बैंचिंग पूरी हो गई थी और 125 मी. की बैंचिंग शेष थी। पावर टनल की अधिकतर ओवर्ट लाइनिंग पूरी हो चुकी है केवल फेस-3-बी तथा 4 के बीच 549 मी. की ओवर्ट लाइनिंग कुछ प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण शेष है। नाजुक फेस के कार्यों में उत्पन्न इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किए जा रहे थे ताकि इनमें चट्टानों के खिसकाव को रोका जा सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना की सभी तीनों यूनिटें चालू की जानी हैं।

(ख) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3×130 मे.वा.), जम्मू-कश्मीर

परियोजना स्थल पर कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ठेकेदारों ने इस परियोजना पर दिनांक 24 अगस्त, 1992 से काम बंद कर दिया था और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में वे समझौते की शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। परियोजना स्थल पर उत्पन्न भूवैज्ञानिक परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने अतिरिक्त मुआवजे की भी मांग की थी। भारत सरकार ने इस परियोजना के निर्माण से संबंधित मामलों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने मार्च, 1993 में परियोजना का दौरा किया तथा इस परियोजना के लिए किए गए दावों-प्रतिदावों पर विचार करने के बाद मई में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ये सिफारिशें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और इन्हें सिंगिल

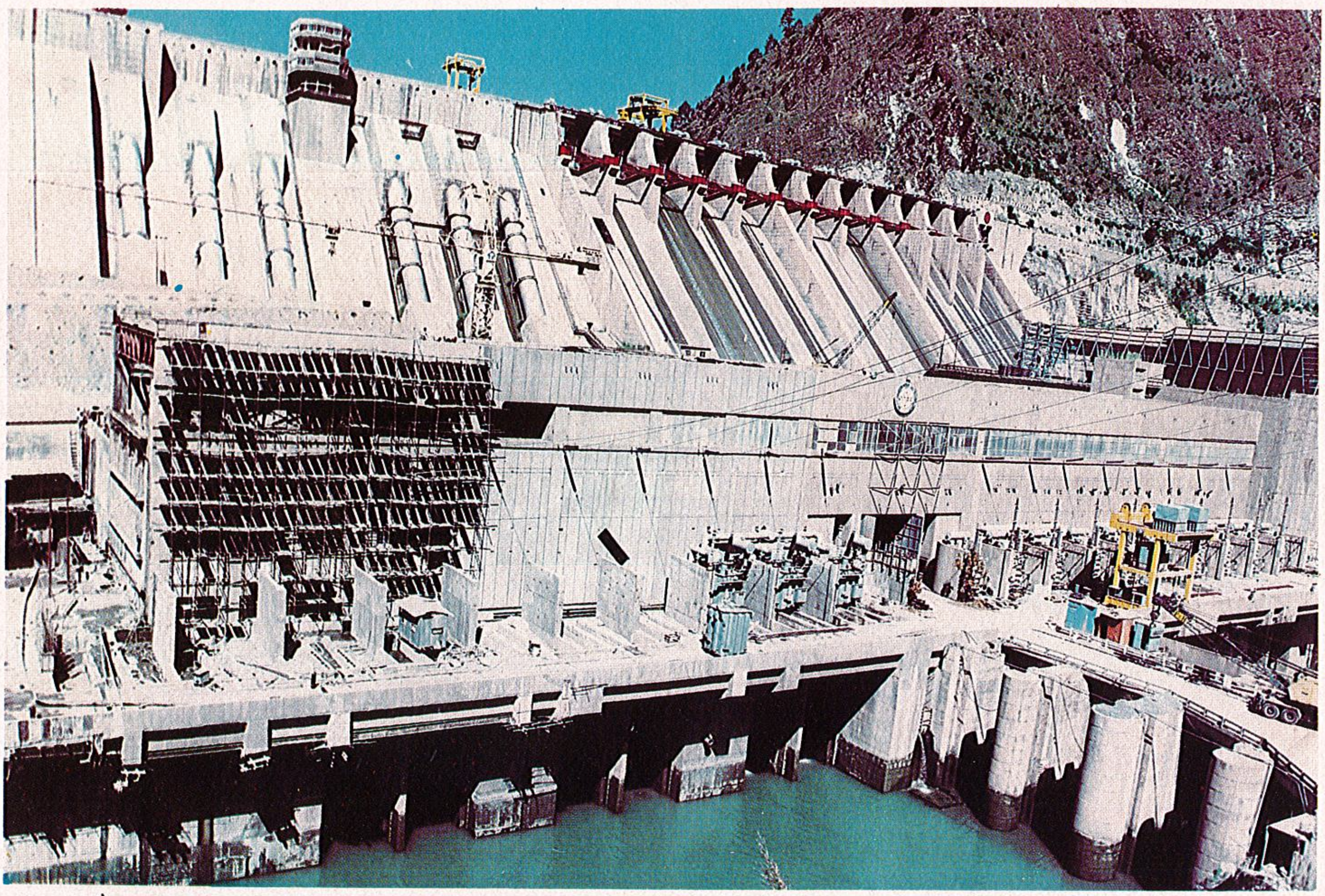

सलाल काम्प्लैक्स का एक दृश्य।

पैकेज के रूप में बनाया गया जोकि यथावत रूप में एन.एच.पी.सी. और फ्रेंच कंसोर्टियम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर स्वीकार की जानी थीं। फिर भी, फ्रेंच कंसोर्टियम ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और कहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के बावजूद भी परियोजना स्थल पर कार्यारम्भ नहीं किया जाएगा। अब सरकारी स्तर पर कार्य शुरू करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) उड़ी जल विद्युत परियोजना, (4×120 मे.वा.), जम्मू-कश्मीर

वर्ष के दौरान स्थायी कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा। 9.04 लाख क्यूबिक मी. खुदाई सहित बैराज के सतही कार्य पूरे किए गए हैं, जिसमें शामिल हैं — कट एंड कवर कल्वर्ट, डिसिल्टिंग बैसिन, सरप्लस एस्केप, हैडरेस कैनाल तथा टनल इन्टेक कार्य आदि। इस पूरे कार्य में लगभग 34 लाख क्यूमिक्स खुदाई कार्य भी शामिल है। एडिट-II तथा एडिट-III के पूरा होने के बाद हैडरेस टनल की खुदाई का कार्य चार जगह से शुरू किया गया था, जिसमें से 10.5 कि.मी. टनल में से 730 मी. की लम्बाई तक कार्य पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा कुल 10 कि.मी. के कार्य में से विभिन्न एडिटों का 3400 मी. तक टनलिंग कार्य भी पूरा कर लिया गया था, जिसमें पावर हाउस के विभिन्न हिस्से, सर्ज गैलरी और टेलरेस टनल आदि कार्य शामिल हैं। जून, 1993 के अंत तक 12.95 लाख क्यूमिक्स खुदाई संबंधी सतही कार्य पूरे किए जा चुके थे। हैडरेस टनल की खुदाई में प्रगति हुई है और जून, 1993 तक 1863 मी. तक का कार्य पूरा कर लिया गया था। पावर हाउस के केवर्नों पर कुल 1.20 लाख क्यूमिक्स में से जून, 93 तक 34000 क्यूमिक्स का एडिटों/पहुंचों द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया था।

(घ) सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×115 मे.वा.) जम्मू-कश्मीर

वर्ष 1992-93 के दौरान दिनांक 31.3.93 को यूनिट-4 सफलतापूर्वक संचालित कर दी गई थी। यूनिट-5 के

स्पाइरल केसिंग का उत्थापन पूरा होने के बाद उसका हाइड्रोलिक परीक्षण पूरा किया गया था। यूनिट-6 की संचालन गति धीमी थी। पावर हाउस में लगभग 13000 क्यूबिक मी. कंक्रीटिंग कर ली गई थी। यूनिट-4 से बिजली की निकासी के लिए पावर हाउस तथा स्विचयार्ड के बीच की लिंक लाइन भी पूरी की गई थी और इसमें स्विचयार्ड के उपकरण भी पूरे कर लिए गए हैं। जून, 1993 के अंत तक हाइड्रोमैकेनिकल उपस्करों के सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे। चरण-II के पावर हाउस की तीनों यूनिटों में ई.ओ.टी. क्रेन संचालित थी। यूनिट-5 में स्टार्टर उत्थापन का कार्य शुरू किया गया था तथा इसका प्रारंभिक कार्य प्रगति पर था। वर्कशॉप में यूनिट-6 के स्पाइरल केसिंग के मैचिंग का कार्य प्रगति पर था। इसमें 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं तथा 25 जून, 1993 को यूनिट को ग्रिड से सम्बद्ध कर दिया गया है।

राजस्व का वितरण

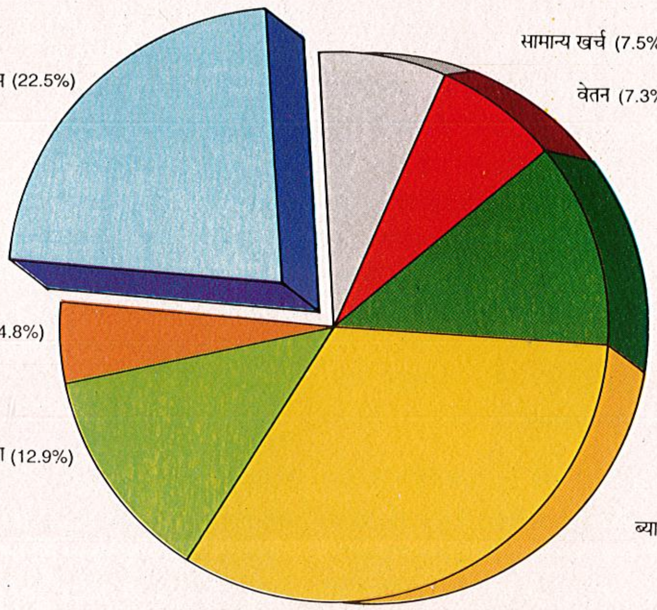

(च) रंगित जल विद्युत परियोजना, (3×20 मे.वा.) सिक्किम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संरचनात्मक निर्माण कार्यों जैसे स्थायी तथा अस्थायी भवनों के निर्माण आदि कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

जून, 1993 के अन्त तक 358 मी. लम्बी 6 मीटर व्यास की डाइवर्शन टनल, बांध के दांये तथा बांयें किनारों की स्ट्रीपिंग पूरी कर ली गई है। सर्ज साफ्ट की पाइलट खुदाई भी पूरी कर ली गई है और इसका स्लैशिंग कार्य प्रगति पर है। हैडरेस टनल की अपस्ट्रीम साइट में 42 मीटर बोरिंग तथा डाउन स्ट्रीम में 82.3 मीटर बोरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया था। पावर हाउस में 1,46,000 क्यूबिक मीटर खुदाई कार्य में से अभी तक 53,650 क्यूबिक मीटर की खुदाई पूरी कर ली गई है।

रंगित परियोजना के निर्माण—कार्य की प्रगति।

4. चालू वर्ष के लिए योजना

कारपोरेशन ने वर्ष 1993-94 के दौरान अपनी संचालित परियोजनाओं से 3796 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने की योजना बनाई है। चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (540 मेगावाट) एवं सलाल चरण-II (115 मेगावाट) की एक यूनिट के पूरा होने से 655 मिलियन यूनिट अतिरिक्त क्षमता अर्जित की जाएगी। चमेरा परियोजना (चरण-II) (3×100 मेगावाट) के लिए भारत सरकार से निवेश निर्णय प्राप्त करने की भी कारपोरेशन की योजना है।

5. वित्तीय बाधाओं और लागत पर नियंत्रण के प्रयास

कारपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी 2500 करोड़ रुपए है। प्रदत्त पूंजी वर्ष 1991-92 के दौरान 1922.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 1992-93 के दौरान 2255.23 करोड़ रुपए हो गई है। प्राधिकृत पूंजी को 3500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। आशा है कि कारपोरेशन का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।

बांड

कारपोरेशन ने वर्ष 1991-92 तक आरक्षित नॉन-कनवर्टीबल रिडीमेबल बांडों के माध्यम से 1205 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। वर्ष 1992-93 के दौरान कारपोरेशन को बांडों के माध्यम से 500 करोड़ रुपए एकत्र होने की आशा थी फिर भी शेयर बाजार में लगातार वित्तीय संकट रहने के कारण कारपोरेशन बांडों के माध्यम से केवल 59 करोड़ रुपए एकत्रित कर पाई है। वर्ष 1993-94 के दौरान कारपोरेशन को बांडों के माध्यम से 600 करोड़ रुपए एकत्रित करने की अनुमति प्राप्त हुई है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1986 में जारी ''ए'' सीरीज बांडों (पब्लिक इश्यू और प्राइवेट इश्यू) की अदायगी वर्ष 1993-94 में देय है। इन बांडों की ब्याज सहित अदायगी योग्य राशि 156.17 करोड़ रुपए है। 28 करोड़ रुपए मूल्य के बांडों की अदायगी कारपोरेशन ने पहले ही कर दी है और शेष राशि के बांडों की अदायगी निर्धारित देय तारीख तक करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कारपोरेशन का भावी कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को जुटाना होगा। इस सिलसिले में कारपोरेशन के आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाना अधिक सार्थक होगा। कारपोरेशन अपने आन्तरिक संसाधनों में सुधार लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें खर्च में कमी, लाभभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिए कारगर उपाय करना तथा कारपोरेशन की अन्य बकाया राशियों की वसूली करना आदि शामिल है। इसके अलावा उत्पादन लागत में कमी के प्रयास किए गए हैं, जो संचालित परियोजनाओं के योजनाबद्ध संचालन व रख-रखाव और उपस्करों के अधिकतम उपयोग एवं डाउन टाइम में कमी आदि से संभव होगी। पानी के कम बहाव के दौरान रख-रखाव की भी योजना बनाई गई है ताकि पानी की स्पिलिंग से बचा जा सके। संचालित यूनिटों के डाउन टाइम को कम से कम करने के लिए पुर्जों की उपलब्धता और उन्हें बदलने में लगने वाले समय को भी योजनाबद्ध किया गया है। उत्पादन उपस्करों को मजबूरन बंद करने जैसी स्थिति से बचने के लिए भी लगातार मॉनीटरिंग के प्रयास किए जा रहे हैं।

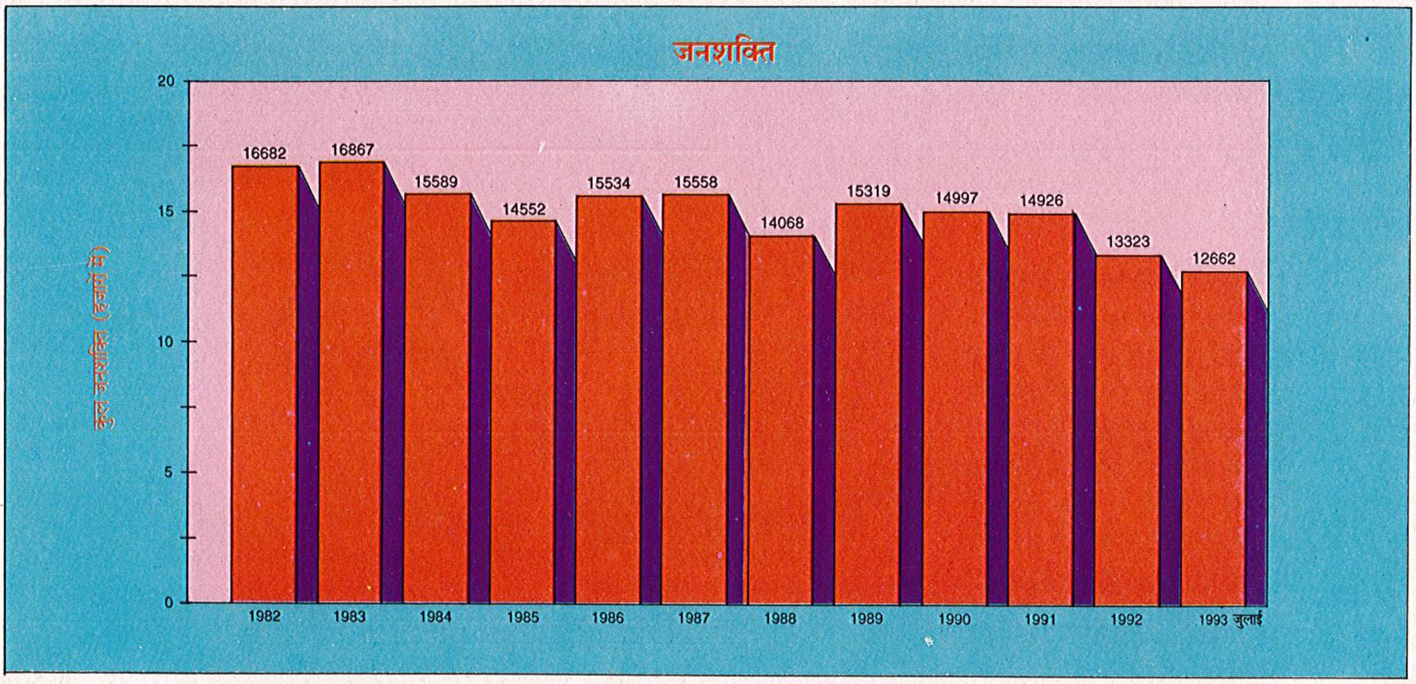

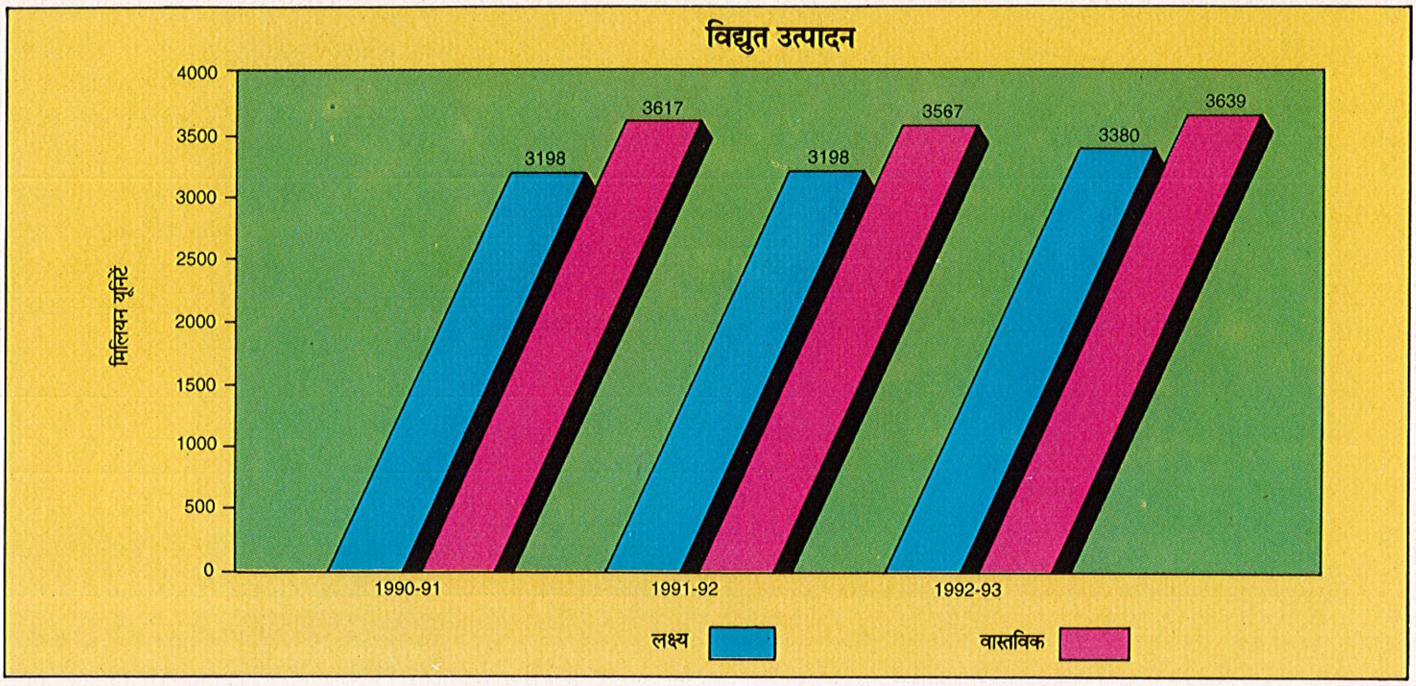

6. कंसल्टेंसी सर्विसेज

पिछले 18 वर्षों के विस्तृत अनुभव और विशेषज्ञता को उपयोग में लाने के विचार से कारपोरेशन ने हाल ही में एक कंसल्टेंसी विंग की स्थापना की है। यह विंग अन्वेषण, डिजाइन, जल विद्युत संयंत्रों के संचालन व रख-रखाव के क्षेत्रों की विशेषज्ञता रखता है।

7. टेक्नालॉजी समावेशन, अनुकूलन और अनुसंधान

कारपोरेशन ने टेक्नालॉजी समावेशन, अनुकूलन और अनुसंधान की ओर अपने प्रयासों के तहत सब-सर्फेस जियोलॉजी के दक्ष-निरूपण के लिए सिसमिक टोमोग्राफी को अपनाया है। यह तकनीक हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं के डिजाइन में सब-सर्फेस भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में इन्टर बोर होल परीक्षण के लिए सहायक सिद्ध होगी, जो इस क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सिनको 1000 (यू.एस.ए.) ढालमापी अपनाने के परिणामस्वरूप कारपोरेशन को अस्थिर ढलानों के अध्ययनों को मॉनीटर करने में सहायता मिलेगी। देश में उपलब्ध इस सुविधा को कारपोरेशन अपने उपयोग में ला सकती है।

8. ऊर्जा संरक्षण

कारपोरेशन ऊर्जा संरक्षण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए कारपोरेशन ने अपनी परियोजनाओं पर समन्वयक नियुक्त किए हैं। वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए "ऊर्जा संरक्षण-एक विकल्प" नाम से निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की है। कारपोरेशन ने तेल बचत दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाए हैं। एन.एच.पी.सी. समाचार पत्रिका में ऊर्जा संरक्षण संबंधी सामग्री भी निरंतर प्रकाशित की जा रही है।

9. सतर्कता गतिविधियां

सामान्य सतर्कता गतिविधियों के अलावा आकस्मिक निरीक्षण भी किए गए। इनमें परियोजनाओं को सीमेंट की आपूर्ति, ठेकेदारों के भुगतान, सिविल कार्यों की गुणवत्ता, मूल्यांकन आदि मामले शामिल हैं। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया ताकि इस पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जा सके और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक उचित कार्रवाई की जा सके।

10. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

कारपोरेशन ने मानव कार्यकुशलता के विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम अपनाया है। वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त तक 34000 मानव दिवसों का उपयोग कर्मचारियों के देश और विदेश में प्रशिक्षण और विकास के लिए किया गया। आधुनिक तकनीक से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए अब तक 160 कर्मचारियों को विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। इसी प्रकार लगभग 4000 कर्मचारियों को अभी तक देश में कारपोरेशन के अन्दर और उससे बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

कारपोरेशन ने अतिरिक्त मैनपावर को कम करने के तरीकों को भी अपनाया है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, अतिरिक्त मैनपावर को दूसरे संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः नियुक्त करना शामिल है, जिसके फलस्वरूप कारपोरेशन के कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। इस प्रकार जुलाई, 1993 में कारपोरेशन के कर्मचारियों की कुल संख्या 12662 रही है, जबकि 1982 में यह संख्या 16682 थी।

11. वित्तीय निष्पादन

कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के 49.30 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान 41.49 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान कारपोरेशन का कुल कारोबार पिछले वर्ष के 243.94 करोड़ रुपए की तुलना में 187.90 करोड़ रुपए रहा। विद्युत उत्पादन का स्तर बढ़ाने के बावजूद भी कारपोरेशन के कारोबार तथा लाभ में कमी का मुख्य कारण ट्रांसमिशन लाइनों का पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को हस्तान्तरण है।

12. लाभभोक्ताओं के पास बकाया देयताएं

विभिन्न लाभभोक्ताओं की ओर कारपोरेशन द्वारा दी गई बिजली के दिनांक 31.3.93 तक 191.79 करोड़ रुपए बकाया हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 198.66 करोड़ रुपए थी।

कारपोरेशन इस बकाया राशि के राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य लाभभोक्ताओं से वसूली के लिए भरसक प्रयास कर रही है। भारत सरकार भी इस बकाया राशि की वसूली के लिए कारपोरेशन की मदद कर रही है। दिनांक 31.5.90 तक की विवादरहित देयताओं की 25% अदायगी राज्यों की 1990-91 की प्लान योजना में केन्द्रीय योजना सहायता राशि में से समायोजित की जाएगी और शेष राशि समान किश्तों में बाद के तीन वर्षों में समायोजित होगी। इसी प्रकार विवाद रहित शेष राशि जनवरी, 1993 से राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता योजना राशि का 25% वर्ष 1992-93 से 1995-96 के बीच 4 वर्षों में समायोजित की जाएगी और इसकी अदायगी कारपोरेशन को की जाएगी।

13. कार्मिक नीतियां व औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध सामान्यतया सौहार्दपूर्ण रहे। कारपोरेशन ने कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्य भी किए, जिनमें परियोजना में स्कूल सुविधाएं, चिकित्सा, मनोरंजन तथा कार्यालय/परियोजनाओं में भोजन/चाय प्रतिपूर्ति व कैन्टीन सुविधाएं दी गई हैं।

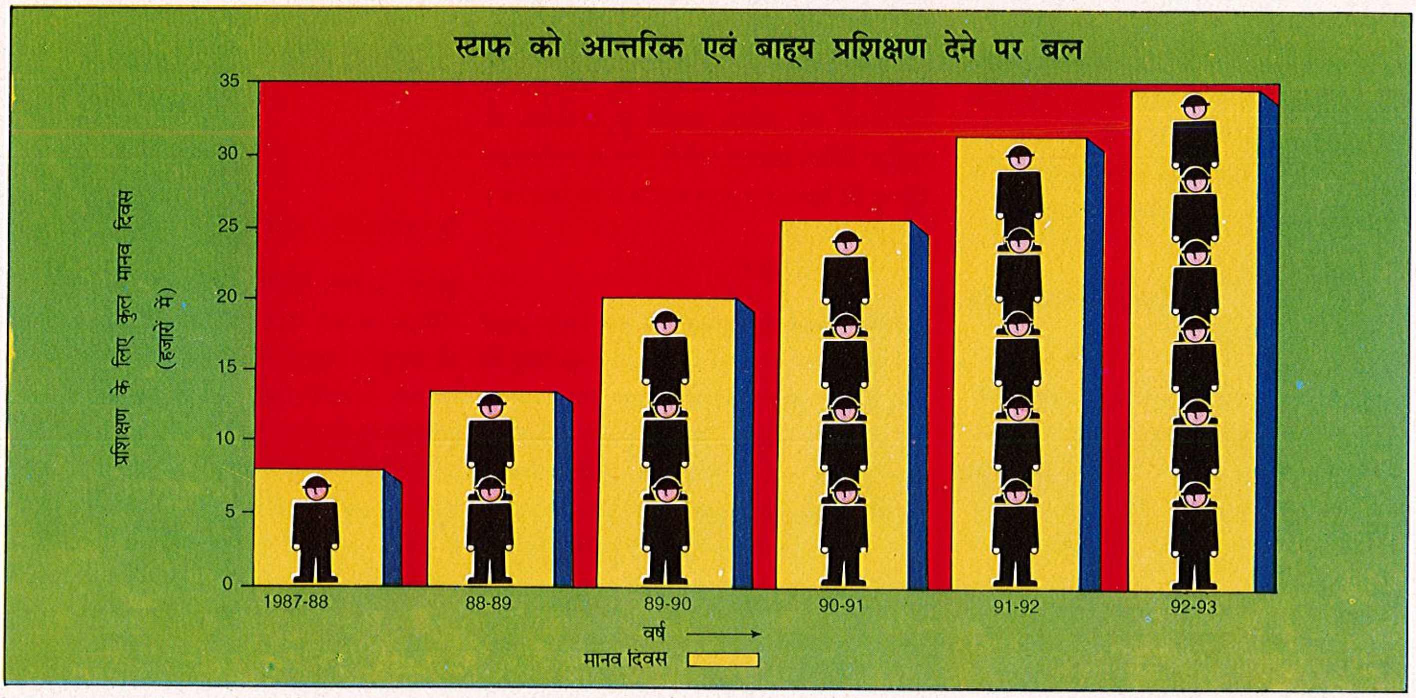

14. राजभाषा

कारपोरेशन अपने कार्यालय के दैनिक कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करती रही है। कारपोरेट कार्यालय/परियोजनाओं में हिन्दी कार्यशालाएं/प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए कारपोरेट कार्यालय में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया। कारपोरेशन में राजभाषा नीति को लागू करने के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

15. राष्ट्रपति के निर्देश

कारपोरेशन के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राष्ट्रपति जी ने वर्ष के दौरान दो निर्देश जारी किए, जिनमें यह कहा गया कि कारपोरेशन में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विकलांगों के लिए भारत सरकार की आरक्षण, छूट तथा रियायतों संबंधी विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से लागू की जाएं।

कारपोरेट कार्यालय में हिन्दी सप्ताह समारोह।

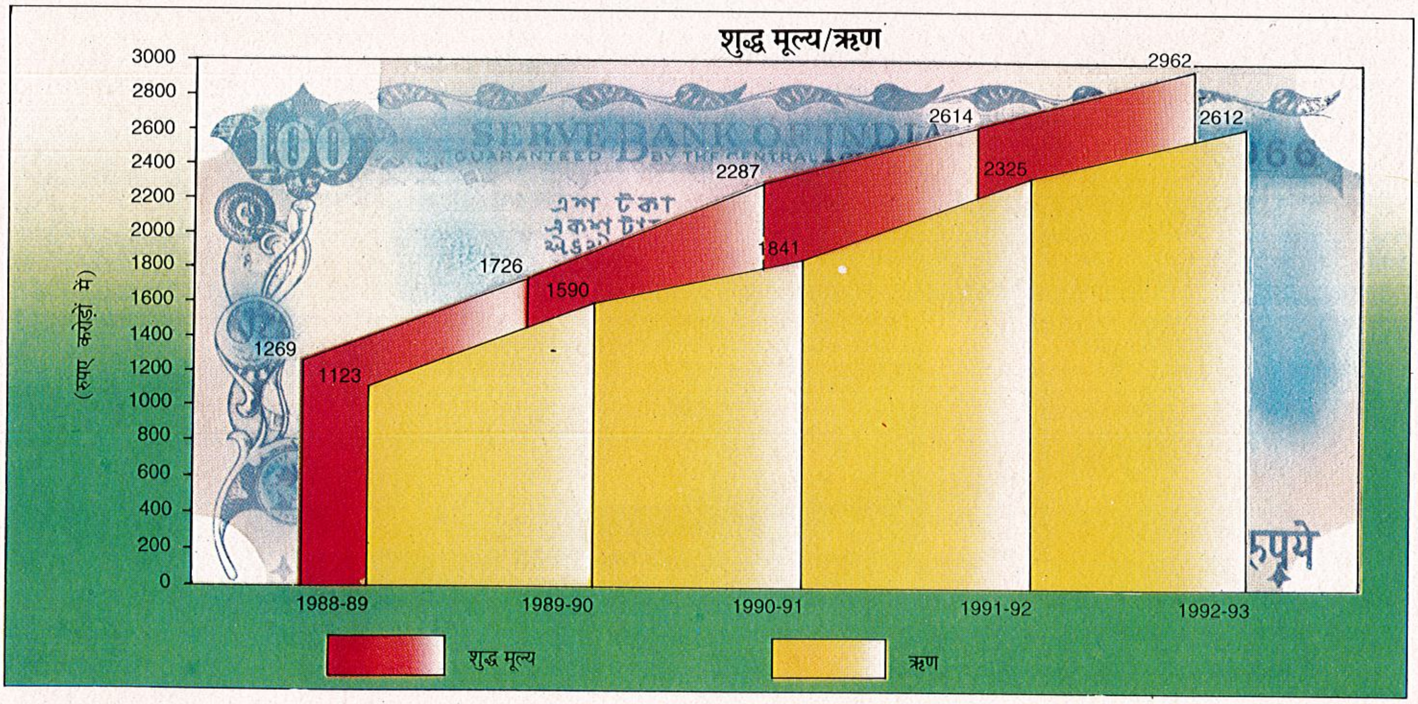

16. निदेशकगण

श्री जी.पी. सिंह ने दिनांक 29 अप्रैल, 1993 (अपराह्न) से एन.एच.पी.सी. के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (परियोजना) का कार्यभार छोड़ दिया और श्री अजय दुआ, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 29 अप्रैल, 1993 (अपराह्न) से कारपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 9 दिसम्बर, 1992 के पत्र के अनुसार डॉ. सी.डी. थाटे एवं श्री अरुण भटनागर एन.एच.पी.सी. के निदेशक मंडल में निदेशकों के तौर पर शामिल नहीं रहे हैं। ब्रिगेडियर आर.के. वर्मा ने सेवानिवृत्ति अवधि पूरी होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 (अपराह्न) से एन.एच.पी.सी. के निदेशक (कार्मिक) का पदभार छोड़ दिया है। श्री जी.पी. सिंह के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के तौर पर, ब्रिगेडियर आर.के. वर्मा के निदेशक (कार्मिक) के तौर पर तथा डॉ. सी.डी. थाटे व श्री अरुण भटनाग़र के निदेशक मण्डल एन.एच.पी.सी. में निदेशकों के तौर पर की गई उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रहेंगी।

श्री ए.बी. जोशी, सदस्य (डी. एण्ड आर.), सी.डब्ल्यू.सी. तथा श्री वी.के. दीवान, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 9 दिसम्बर, 1992 (पूर्वाह्न) से एन.एच.पी.सी. के निदेशक मण्डल में निदेशकों के तौर में शामिल किया गया है।

श्री के.के. वोहरा ने एन.एच.पी.सी. के निदेशक (वित्त) का पदभार दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 से श्री ए.आई. बुनेट ने निदेशक (कार्मिक) का पदभार दिनांक 31 मार्च, 1993 (अपराह्न) से और कुमारी ई. डिवेटिया ने एन.एच.पी.सी. के निदेशक (तकनीकी) के पद का कार्यभार दिनांक 27 अप्रैल, 1993 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है।

17. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कारपोरेशन के विभिन्न कार्यों को दर्शाने वाली लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुसूची-14 में दी गई है और उनके स्वतः स्पष्ट उत्तर भी प्रस्तुत हैं। उड़ी, दुलहस्ती के मामले में लेखा समाधान आदि असामान्य परिस्थिति होने के कारण लेखे में नहीं दर्शाए गए हैं। सलाल परियोजना से संबंधित विभिन्न ठेकेदारों के बढ़े हुए दावों के लिए देयता इसलिए नहीं दर्शायी गई है कि उन

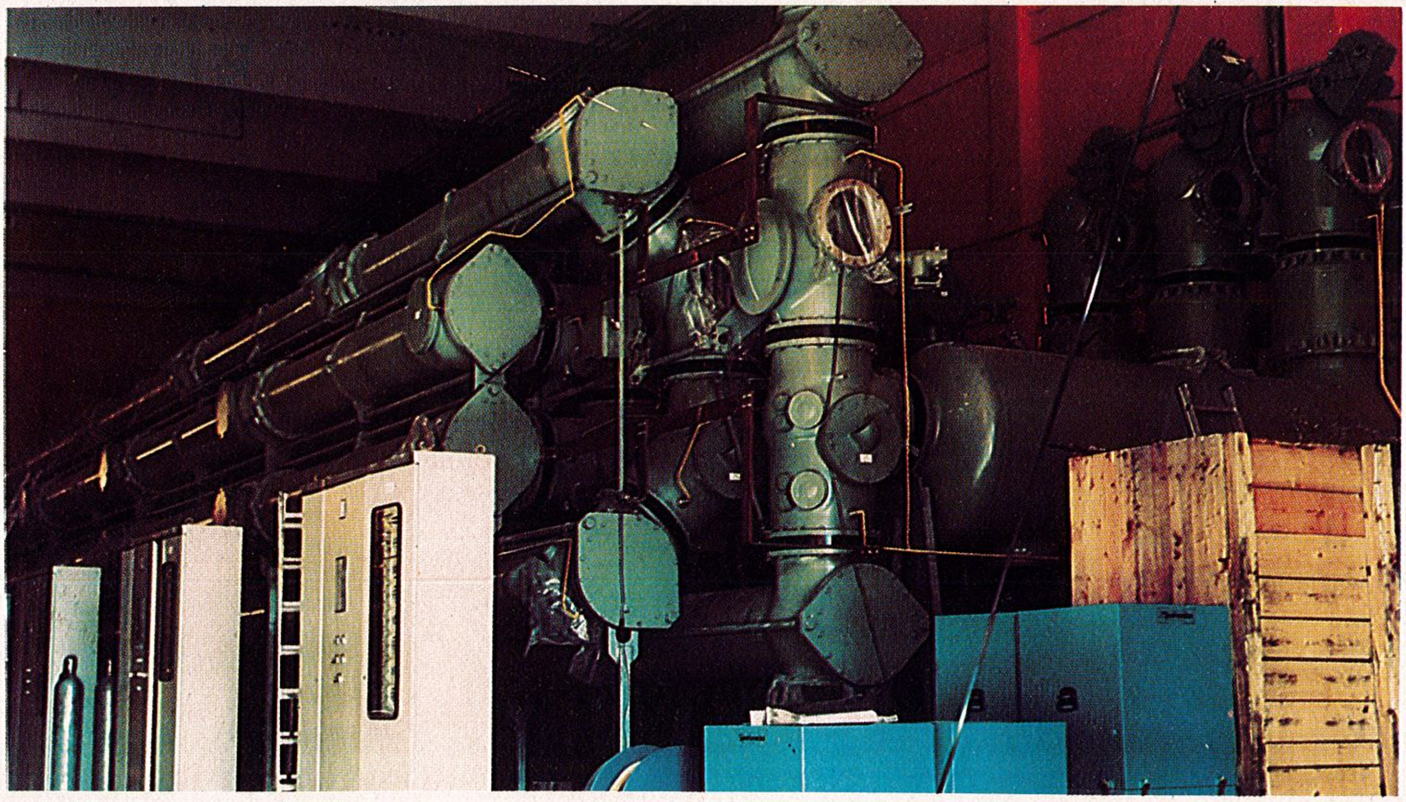

220 के.वी. इन्सुलेटिड स्विचगियर — चमेरा परियोजना।

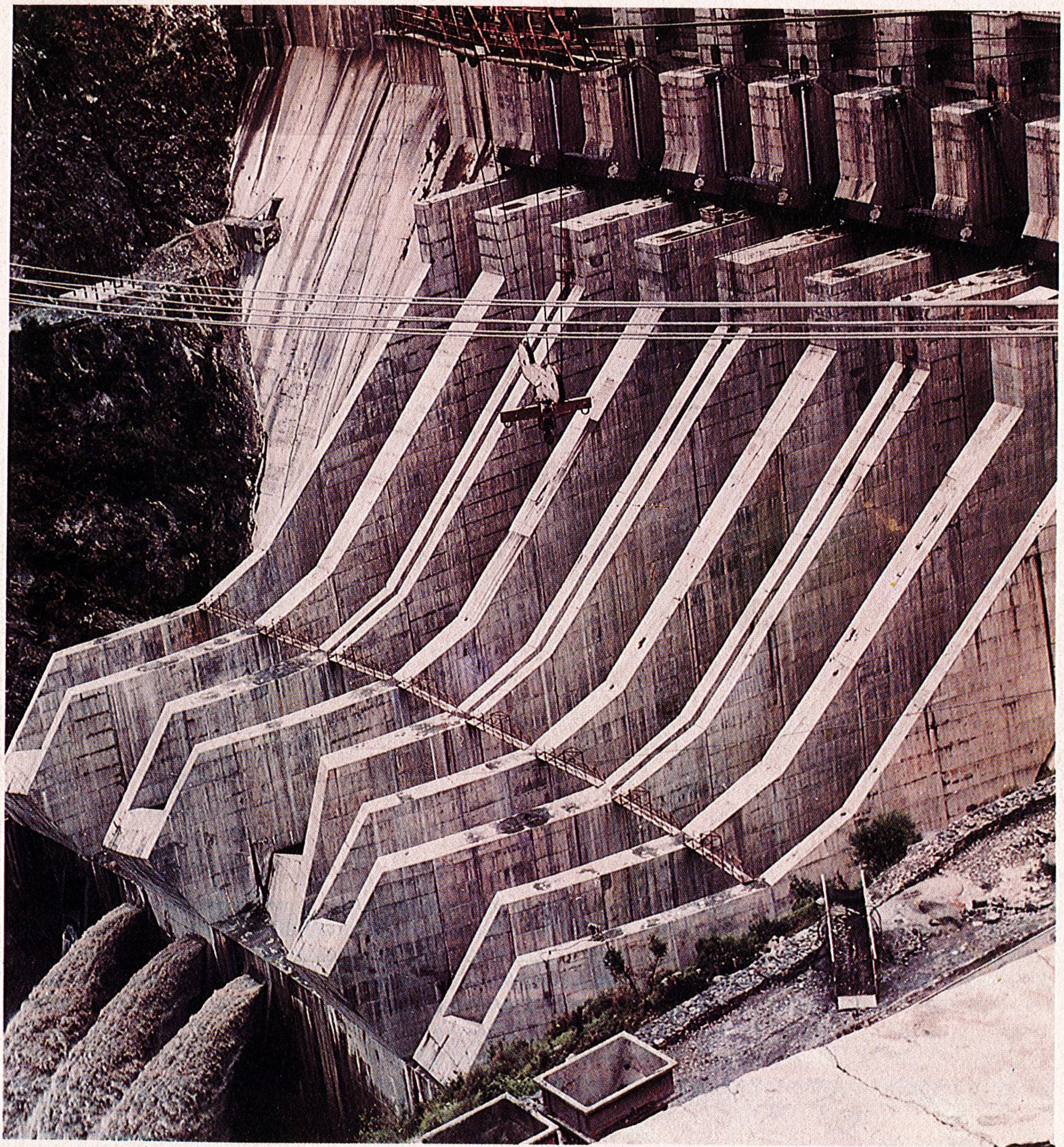

कंक्रीट बांध — चमेरा परियोजना।

पर निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है और उनका वास्तविक वित्तीय आकलन नहीं किया जा सका है।

ठेकेदारों, विभिन्न देनदारों आदि को समय-समय पर दी गई पेशगियों, सामग्री का समाधान किया जा रहा है और अन्तर निकालकर समायोजित किया गया है।

कारपोरेशन के पास कोई कच्चा माल नहीं है फिर भी अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त स्टोरों की पहचान की जा रही है और इन मदों के समुचित निपटान/समायोजन के लिए भी कार्रवाई की गई है। आन्तरिक लेखापरीक्षा को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा निदेशकों के उत्तर अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 में दी गई है।

निर्माणाधीन टनल — उड़ी परियोजना।

18. कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-3 में दी गई है।

19. आभार

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न विभागों विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, सी.एस.एम.आर.एस., सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार प्रकट करता है। बोर्ड, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह तथा अन्य राज्य बिजली बोर्डों का आभार प्रकट करता है। बोर्ड, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, यूनाइटेड-किंग्डम तथा शाही भूटान सरकारों का भी आभारी है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षकों एवं बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल के लिए, की ओर से

(अजय दुआ)
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

स्थान :नई दिल्ली
दिनांकः 29.9.1993

आज
ऊर्जा बचाएं
भविष्य
उज्ज्वल बनाएं

लेखा नीतियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखा पद्धति :**

1.1 कारपोरेशन द्वारा लेखों में मर्केन्टाइल पद्धति अपनाई जा रही है और आय तथा व्यय की पहचान एक्यूरल आधार पर की जा रही है।

1.2 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत पर आधारित हैं। इस लागत में मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तनीय मूल्य के प्रभाव को दिखाने के लिए इन लागतों को समायोजित नहीं किया गया है।

2. **स्थिर परिसंपत्तियाँ व मूल्यह्रास :**

2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ:

स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन अथवा निर्माण घटाएं-संचित मूल्यह्रास (फ्रीहोल्ड भूमि के अतिरिक्त) के आधार पर किया जाता है। फिर भी, जिन मामलों में वास्तविक खर्च सीधे-स्पष्ट तौर पर निश्चित नहीं हो पाते हैं, उन्हें शुद्ध अनुमानों के आधार पर निकाला गया है। वह राशि, जो कि कारपोरेशन की संपत्ति के एक हिस्से के रूप में अथवा संयुक्त रूप से किसी एजेंसी द्वारा लगाई गयी है, को उस संपत्ति की कुल लागत में से कम करके लेखों में शुद्ध लागत के रूप में दर्शाया गया है। परिसंपत्तियों का इंटर-यूनिट हस्तांतरण लेखा-लागत पर किया गया है।

2.2 मूल्यह्रास और परिशोधन :

(i) लीज़होल्ड भूमि :

लीज़होल्ड भूमि की किस्तों को लीज़ की अवधि के आधार पर परिशोधित किया गया है।

(ii) अन्य परिसंपत्तियां

बिजली उत्पादन स्टेशनों पर बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन और उनके संचालन व रख-रखाव के लिए उपयोग में आने वाली मशीनरी, प्लांट व उपस्करों आदि पर मूल्यह्रास, विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उपधारा 1 के अंतर्गत परिसंपत्तियों को उपयोग में लाए जाने वाले वर्ष के बाद से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित दरों पर सीधे तौर से चार्ज किया जा रहा है। निर्माण, प्लांट व मशीनरी, उपस्कर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कार्यालय उपस्कर, भवनों आदि पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में प्रस्तावित दरों के अनुसार सीधे तौर पर दिया जाता है। फिर भी, 2 अप्रैल, 1987 से पहले अर्जित परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अंतर्गत परिकलित किया गया है।

(iii) संचालित यूनिटों द्वारा फालतू घोषित निर्माण उपस्करों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।

3. **तकनीकी जानकारी शुल्क :**

तकनीकी जानकारी के लिए हुए खर्चे को निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च की मद के रूप में माना गया है तथा इसे पैरा-11 में बताई गई परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

4. **माल सूचियां :**

4.1 स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत-अनुसार किया गया है।

4.2 छोटी मदों तथा औज़ारों जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य 100/- रुपए से कम है, को उपभोग्य खाते में डाला गया है। 100/- रु. या इससे अधिक कीमत के खुले औजारों,के मामले में लागत पूंजीकृत की गयी है तथा इसे "खुले औजार लेखे" में दर्शाया गया है। इस प्रकार पूंजीकृत किये गये खुले औजारों को 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते में डालकर खुले औजारों के उपभोग्य खाते में दर्शाया गया है।

5. **विनिमय अस्थिरता :**

निर्माण के दौरान विनिमय ऋणों की देयताएं वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार निर्धारित की गई हैं और इसमें अंतर, यदि कोई हो, तो उसे निर्माण के दौरान हुए प्रासंगिक खर्चे में हस्तांतरित किया गया है और इसे पूंजीकरण के लिए लंबित पूंजीगत कार्य प्रगति पर का हिस्सा माना गया है।

6. **ग्रेच्युटी :**

कारपोरेशन के पास एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड है। दिनांक 31.3.91 तक की ग्रेच्युटी संबंधी सभी देयताओं की आवश्यक किस्तें जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी में जमा कर दी गई थीं। यह ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी दिनांक 1.4.91 से बंद कर दी गई है। वार्षिक वेतन-वृद्धि संबंधी देयताएं लेखों में दर्ज कर दी गई हैं, जो भुगतान के लिए राशि न होने के कारण लंबित पड़ी हैं।

7. **अन्य**

कारपोरेशन की विभिन्न परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता-अनुदान राशि प्राप्त हुई है। अनुदान की बकाया राशि को अन्वेषण कार्य पर किए गए खर्चे काट कर, लेखों में दर्शाया जा रहा है। अनुदान राशि से खरीदी/निर्माण की गई परिसम्पत्तियों पर कारपोरेशन का स्वामित्व नहीं है। अतः इन परिसम्पत्तियों को कारपोरेशन के स्वामित्व में शामिल नहीं किया गया है।

8. पूरे किए गए पूंजीगत कार्यों, जो कारपोरेशन द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत तथा निरीक्षित नहीं किए गए हैं, पर देयताएं यदि कोई हों, नहीं दर्शायी गयी हैं। इसी प्रकार मार्गस्थ माल के लिए माल के प्राप्त होने तक देयताएं नहीं दर्शायी गयी हैं क्योंकि कारपोरेशन द्वारा इसका निरीक्षण तथा प्राप्ति की जानी है।

9. निर्माणाधीन परियोजनाओं में अनुदान तथा लागत का हिस्सा ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च किया जा चुका है, जो कारपोरेशन की नहीं है और जिसका अभी अंतिम आबंटन लंबित है, को निर्माणाधीन कार्य प्रगति में दर्शाया गया है।

10. कारपोरेशन की संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें उन्हीं सामान्य प्रभारों के अनुसार उसी दर से चार्ज की जा रही हैं, जिस दर पर संचालित परियोजना से संबंधित लाभभोक्ता राज्यों को बिजली दी जा रही है। इस प्रकार बेची गई बिजली का नोशनल लाभ के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इस राशि का आकलन नहीं हो सका है।

11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चे और वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन के लिए निश्चित की गई परियोजनाओं पर उत्पादन शुरू करने के पहले दिन तक हुए अप्रत्यक्ष खर्च को "प्रत्यक्ष-स्थिर अचल परिसंपत्तियों" (भूमि को छोड़कर) में डाला गया है।

12. कारपोरेट कार्यालय में अतिरिक्त (सरप्लस) कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक सहित कार्यालय के खर्चों को नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है:-

(क) कारपोरेशन द्वारा डिपॉजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही ट्रांसमिशन लाइनों पर हुए खर्च को 2% की समान दर से प्रत्यक्ष पूँजी खर्च में दर्शाया गया है।

(ख) परियोजना/यूनिटों के मामले में अनुमानित डिज़ाइन खर्चे कार्य की मात्रा के आधार पर संबंधित परियोजना/यूनिटों में दर्शाये गये हैं।

(ग) तीसरी पार्टी को देय करों, ड्यूटियों, व्हीलिंग व बिजली प्रभारों रहित, ऊर्जा की बिक्री 1% की दर से संचालनात्मक परियोजनाओं और ट्राँसमिशन सिस्टम पर।

(घ) शेष खर्चों का निर्माणाधीन, अन्वेषण, एजेंसी आधार पर और संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूँजीगत खर्च के यथानुपात आधार पर आबंटन किया गया है।

13. पिछले वर्ष से सम्बद्ध आय/व्यय, जिसकी पहचान चालू वर्ष के दौरान की गई है, के 5,000 रुपए अधिक खर्च को "पूर्व अवधि समायोजन लेखे" में दर्शाया गया है।

14. संचालनात्मक परियोजनाओं में जहां निर्माण कार्यकलाप अभी चल रहे हैं, के सामान्य सेवा खर्चे, मूल रूप से की गई सेवाओं/प्रत्येक क्रिया-कलाप (निर्माण/संचालन) पर प्राप्त लाभ के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

15. निर्माण अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डिबेंचर/बांड जारी करके वित्तीय व्यवस्था जुटाने पर हुए खर्च तथा इस पर ब्याज को पूंजीगत खर्च के तौर पर लिया गया है और उसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाला गया है।

31 मार्च, 1993 का तुलन-पत्र

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.3.93		31.3.92	
निधियों के स्रोतः					
1. हिस्सेदारों की निधियां					
क. पूँजी	1	225523		192241	
ख. आरक्षित व अधिशेष	2	33271	258794	29122	221363
2. इक्विटी के लिए भारत सरकार के समायोजन योग्य निधि			37725		40012
3. ऋण निधियां	3				
क. सुरक्षित ऋण		110608		100691	
ख. असुरक्षित ऋण		155263	265871	139088	239779
			562390		501154
निधियों का उपयोगः					
1. स्थिर पूँजीगत खर्च					
क. स्थिर परिसम्पत्तियां	4				
सकल ब्लॉक		122933		148323	
मूल्यह्रास		26621		25174	
शुद्ध ब्लॉक		96312		123149	
ख. चालू पूँजीगत कार्य	5	299404		269929	
ग. निर्माण स्टोर व पेशगियां	6	102457	498173	92703	485781
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां	7				
क. माल सूचियां		1988		1894	
ख. विभिन्न देनदार		19179		19866	
ग. नकद व बैंक शेष		13660		19936	
घ. अन्य चालू परिसम्पत्तियां		1157		1539	
च. ऋण व पेशगियां		57811		6518	
		93795		49753	
घटाएं : चालू देयताएं व व्यवस्थाएं देयताएं	8	29891		34380	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां			63904		15373
3. विविध खर्च (बट्टे खाते या समंजित न किए गए की सीमा तक)	9		313		—
			562390		501154
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियाँ	14				

अनुसूची 1 से 14 और लेखा नीतियां, लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन.सीतारमन	**ए.आर. रामामूर्ति**	**के.के. वोहरा**	**अजय दुआ**
सचिव	प्रमुख (वित्त व लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ए.के. जैन
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 सितम्बर, 1993

31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.3.93	31.3.92
आय			
1. बिक्री		17609	23624
2. ढुलाई प्रभारें			
क) अपनी लाइनों का		—	480
ख) अन्य के लिए		281	290
3. विविध आय	10	532	2577
कुल आय		18422	26971
खर्च			
1. बिजली की खरीद		—	3865
2. जनरेशन, पारेषण व प्रशासनिक खर्च	11	1381	1952
3. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	12	1349	2226
4. ढुलाई प्रभारें		282	292
5. रॉयल्टी		517	531
6. मूल्यह्रास		2260	2141
7. ब्याज		6027	9639
8. अनिश्चित ऋणों के लिए व्यवस्था		2371	1337
9. प्रारम्भिक व्यय		—	4
कुल खर्चः		14187	21987
वर्ष में लाभ		4235	4984
जोडें (घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन	13	(86)	(54)
आयकर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		4149	4930
जोड़ें: पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ		12	21012
घटाएं: सांविधिक विनियोजन डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व		4149	4930
जनरल रिज़र्व में हस्तांतरित लाभ		—	21000
आगे लिया गया आरक्षित व अधिशेष लाभ		12	12

एन.सीतारमन
सचिव

ए.आर. रामामूर्ति
प्रमुख (वित्त व लेखा)

के.के. वोहरा
निदेशक (वित्त)

अजय दुआ
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ए.के. जैन
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 सितम्बर, 1993

शेयर पूँजी

अनुसूची-1
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
प्राधिकृत पूंजी		
250,00,000 (पिछले वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर, 1,000/- रुपए प्रति शेयर	250000	250000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
1,000/- रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 22552340 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 19224140) (इसमें 629529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त अनुबंधों के कंसीड्रेशन के लिये आवंटित कर दिये गये हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा पार्ट-कंसीड्रेशन के लिये किया गया है)।	225523	192241
	225523	192241

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची-2
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व	9914	5765
सामान्य रिज़र्व	21000	21000
निवेश भत्ता (उपयोग में लाया गया) रिज़र्व	2345	2345
लाभ व हानि लेखा	12	12
	33271	29122

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
आरक्षित ऋण		
बॉण्ड — "ए" सीरीज़		
(लोकतक व बैरास्यूल की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)		
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 14%, 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 जुलाई, 1993 है।)	14129	14212
बॉण्ड — "बी" सीरीज़		
(चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)		
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 13% पर 11.12.94 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	4996	5033
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 9% पर 11.12.97 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	7866	7901

अनुसूची-3 *(क्रमशः)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93		31.3.92	
बॉण्ड — ''सी'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 9% पर 20 मई, 1998 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	15000		15000	
बॉण्ड — ''डी'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 27 सितम्बर, 1999 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	22000		22000	
बॉण्ड — ''ई'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 9 फरवरी, 2000 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	15000		15000	
बॉण्ड — ''एफ'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 13% पर 13 सितम्बर, 1997 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	21500		21500	
उपचित ब्याज व देय (दावा रहित)	117		45	
अन्य ऋण (यू.टी.आई.)				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)	10000		—	
		110608		100691

अनारक्षित ऋण

ब्यौरे	31.3.93		31.3.92	
बॉण्ड — ''जी'' सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 17.5% पर 2 दिसम्बर, 1998 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 17% पर 21 फरवरी, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	1000		1000	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 18% पर 9 मार्च, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	10000		10000	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 18% पर 30 मार्च, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	3000		3000	

अनुसूची-3 *(जारी)*
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93		31.3.92	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 31 मार्च, 2002 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	700		700	
बॉण्ड — "एच" सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 17% पर 8 अगस्त, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल-नॉन कनवर्टीबल बॉण्ड	5000		—	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 18% पर 30 मार्च, 2000 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	900		—	
भारत सरकार से	53175		56655	
सरकारी ऋण पर उपचित तथा देय ब्याज	4457		7213	
अन्य (भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त)				
1. निर्यात विकास निगम (कनाडा)	48641		46635	
2. चार्टर्ड वेस्ट एल.बी. लिमिटेड द्वारा संचालित सहायता संघ	6938		3438	
3. क्रेडिट कमर्शियल डी फ्रांस	12912		5447	
4. स्किन्डिनाव्स्का एनस्किल्डा बैंकेन	2790		—	
अल्पावधि ऋण (अन्य)	750	155263	—	139088
जोड़		265871		239779

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास	शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.92 को	बढोतरी/ समंजन	कटौतियां/ समंजन	31.3.93 को	31.3.93 तक	31.3.93 को	31.3.92 को
भूमि फ्रीहोल्ड	2254	281	590	1945	—	1945	2254
भूमि लीज़ होल्ड	1532	224	80	1676	70	1606	1474
भवन	16422	931	2223	15130	3575	11555	13030
सड़कें और पुल	5594	306	350	5550	778	4772	4885
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	16515	99	407	16207	12825	3382	4744
जनरेटिंग संयंत्र व मशीनरी	9970	5	4	9971	1909	8062	8417
सब-स्टेशन उपस्कर	9712	54	9005	761	233	528	8916
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि)	64135	16	—	64151	4952	59199	60553
गाड़ियां	1473	65	139	1399	900	499	579
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	1270	151	94	1327	494	833	846
ट्रांसमिशन लाइनें	18254	—	14121	4133	568	3565	16671
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	1192	100	609	683	317	366	780
जोड़	148323	2232	27622	122933	26621	96312	123149
पिछले वर्ष	144232	4602	511	148323	25174	123149	

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.93		31.3.92
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य खर्चें		804		1025
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		15325		13379
3. सड़कें और पुल		1502		1297
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर-चैनल		99900		78857
5. पेनस्टॉक		2535		1323
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		24792		19282
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		6046		7592
8. विविध परिसम्पत्तियां		540		533
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		2097		13478
10. भूमि जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च		4095		3746
11. **निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च**				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	129417		79981	
वर्ष के लिये जोड़ें	22900		49403	
जोड़	152317		129384	
जोड़ (घटाएं) वर्ष के दौरान भारत सरकार को समायोजित/हस्तांतरित चालू पूंजीगत कार्य में	(10549)		33	
जमा शुद्ध आई.ई.डी.सी.		141768		129417
		299404		269929

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबन्ध

(रुपए लाखों में)

कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभः				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	4162		5839	
ग्रेच्यूटी और भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	567		456	
स्टाफ कल्याण खर्चे	630		533	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	27	5386	6	6834
मरम्मत और रख-रखावः				
भवन	235		155	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	1438		1121	
अन्य	521	2194	360	1636
यात्रा व वाहन		114		145
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च		326		340
भूमि अर्जन और पुनर्वास खर्चे		—		1
कार्यालय का किराया		133		136
आवासीय स्थान के लिए किराया		62		58
दरें व कर		217		459
बीमा		160		303
बिजली प्रभारें		338		489
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		78		77
विज्ञापन व प्रचार		36		50
डिज़ाइन व परामर्श प्रभारें		23		3
मनोरंजन		2		2
छपाई व लेखन सामग्री		50		65

अनुसूची-5 का अनुबन्ध *(जारी)*

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.93		31.3.92
लेखापरीक्षकों को भुगतानः				
लेखापरीक्षा शुल्क	2		2	
अन्य मामलों के लिए	1		1	
लेखापरीक्षा शुल्क	1	4	2	5
ऋणों पर ब्याज		5729		6191
बांडो पर ब्याज		13197		10596
बांड व ऋण जारी करने की प्रभारें		395		195
बैंक प्रभारें		7		15
तकनालॉजी हस्तांतरण		—		47
विदेशी ठेकों पर आयकर		1611		2360
बट्टे खाते डाली गई सामग्रियों और परिसंपत्तियों पर हानि		244		144
विदेशी परामर्श प्रभारें		1034		2942
वायदा शुल्क		526		516
वित्तीय प्रभारें		185		946
मूल्यह्रास		1689		1763
विनिमय दर परिवर्तन		—		18404
पूर्व अवधि खर्चे		—		795
अन्य खर्चे		2798		483
पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. के प्रबंधन खर्चे		273		188
संदेहास्पद ऋण		9		—
कुल खर्चः		36820		56188
घटाएंः प्राप्तियां व वसूलियां				
रद्दी सामग्री की बिक्री		51		97
बिजली प्रभारें		1955		391
किराया		13		3
विनिमय दर परिवर्तन (प्राप्त)		174		—
ब्याज				
आवधिक जमा		505		795
ऋण व पेशगियां		126		162
अन्य निवेश		73		1661
विविध प्राप्तियां व वसूलियां		1591		996
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		2		22
पूर्व अवधि समायोजन		6489		—
कुल प्राप्तियां		10979		4127
शुद्ध खर्च		25841		52061
घटाएंः				
1. सी.डब्ल्यू.आई.पी. को बिना बारी के आबंटित/सीधे तौर पर आबंटित किराया प्रभारें	2764		2435	
2. अन्वेषण, डिपाजिट, एजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आबंटित आई.ई.डी.सी.	177	2941	223	2658
		22900		49403

अनुसूची-5 *(जारी)*
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92

टिप्पणी:

(क) उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैं:

	1992-93 (रुपए)	1991-92 (रुपए)
i) वेतन व भत्ते	379428	624726
ii) भविष्य निधि अंशदान	43790	53797
iii) आवासीय स्थान के लिए किराया	161178	240000
iv) यात्रा खर्चे	99965	216695
v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	42215	16366
vi) छुट्टी यात्रा रियायत	62922	25942

(ख) सरकारी मंजूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को गैर ए.सी. कार के लिए 250/- रु. प्रतिमास और ए.सी. कार के लिए 400/- रुपए प्रतिमास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिए कंपनी की कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी।

निर्माण स्टोर व पेशगियाँ

अनुसूची-6
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93		31.3.92	
1. निर्माण स्टोर				
(प्रबंधन द्वारा प्रामाणित लागत पर)				
ट्रांजिट में निर्माण सामान	503		772	
स्टोर	8377	8880	10819	11591
2. पूंजी खर्च के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	76932		58721	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	16645	93577	22391	81112
		102457		92703

कंपनियाँ, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) पेशगी देय है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93		31.3.92	
1. माल सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)				
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जे	1982		1885	
लूज टूल्स	6	1988	9	1894
2. विभिन्न देनदारियां				
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	17683		15557	
अन्य ऋण	8038		8480	
घटाएं: संदेहजनक ऋणों के लिए व्यवस्था	6542	19179	4171	19866

विभिन्न देनदारों के ब्यौरे				
अनारक्षित कन्सीडर्ड गुड	19179		19866	
संदेहजनक समझे गए और दिए गए	6542		4171	
3. नकद और बैंक शेष				
नकदी, अग्रदाय, चैक, ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर एवं डाक टिकटें	1821		72	
अनुसूचित बैंकों में शेष :				
चालू खाता	2321		1972	
आवधिक जमा	1294		8466	
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष :				
चालू खाता (स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन)	8224	13660	9426	19936

	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	
	1992-93	**1991-92**
स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन		
चालू खाता	9426	10272
आवधिक जमा	—	8400

4. अन्य चालू परिसंपत्तियां				
जमा राशियों पर उपचित ब्याज	80		125	
अन्य	1077	1157	1414	1539
5. ऋण व पेशगियां				
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियाँ				
आरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	6		—	
अनारक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	2582		4357	
अनारक्षित (सन्देहजनक)	95		10	
घटाएं : व्यवस्थाएं	(95)		(10)	
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)	419		482	
कस्टम में शेष	—		3	
भारत सरकार का सार्वजनिक खाता	57		1676	
भारत सरकार/पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	54747	57811	—	6518
		93795		49753

निदेशकों द्वारा देय पेशगी एक लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)। वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि एक लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.12 लाख रुपए)।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-8

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
विविध देनदार	3495	4312
डिपाजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि	289	455
जमा/रिटेंशन राशि	799	793
अन्य देनदारियां	11215	11103
ऋण पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	14075	17699
जारी किए गए चैकों के लिए देयता	18	18
	29891	34380

ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु जो अभी देय नहीं, में शामिल है : संचयी बॉण्डों पर 1601 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1289 लाख रुपए) जो बॉण्डों की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर दिया जाना है।

डिपाजिट कार्यों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

अनुसूची-8 का अनुबंध
(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.3.93 तक डिपाजिट राशि	31.3.92 तक खर्च	1.4.92 से 31.3.93 तक खर्च	31.3.93 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
क.	**डिपाजिट कार्य**					
	ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें					
	1. गंगतोक से मेलि कालिंपोंग	424	421	—	421	3
	2. गंगतोक से दिक्चू					
	3. लीमाताक-जिरीबाम	472	454	—	454	18
	4. रामनगर-गंडक	177	158	—	158	19
ख.	**एजेंसी आधार पर परियोजनाएं**					
	1. देवीघाट परियोजना	4069	4039	—	4039	30
	2. त्रिसूली पावर संसाधन अन्वेषण कार्य	5	6	—	6	(1)*
	3. सलाकती	1366	1290	37	1327	39
	4. केलपोंग जल विद्युत परियोजना	50	11	13	24	26

टिप्पणी : ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद खर्च दर्शाता है और इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं है। फिर भी, खर्च में सप्लायर्स, ठेकेदारों को पेशगी, जमाएं तथा इस्तेमाल न हुआ स्टॉक शामिल है।

* चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और पेशगियों के अन्तर्गत दिखाया गया है।

जल विद्युत परियोजना के अन्वेषण के लिए सहायता-अनुदान				
1. चमेरा (अन्वेषण)	336		336	
2. धालेश्वरी	167		167	
3. धौलीगंगा	592		592	
4. गौरीगंगा चरण-I	238		238	
5. गौरीगंगा चरण-II	161		161	
6. गौरीगंगा चरण-III	130		130	
7. किशनगंगा	252	1876	252	1876
घटाएं : खर्च				
1. चमेरा (अन्वेषण)	300		300	
2. धालेश्वरी	203		197	
3. धौलीगंगा-I	310		310	
4. धौलीगंगा-II	236		235	
5. गौरीगंगा चरण-I	221		221	
6. गौरीगंगा चरण-II	186		160	
7. गौरीगंगा चरण-III	172		144	
8. किशनगंगा	197		202	
9. बराह पम्प स्टोरेज स्कीम	30		30	
	1855		1799	
प्राप्तियों से अधिक अन्वेषण पर हुए अत्यधिक खर्च को "ऋण व पेशगियों" के अन्तर्गत दर्शायी गई चालू संपत्तियों में से घटाएं	133	1722	74	1725
सहायता-अनुदान की खर्च न हुई राशि		154		151

विविध खर्च

अनुसूची-9
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.93		31.3.92
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक विविध खर्च :				
बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	497		178	
घटाएं : प्रदान किए गए	497	—	178	—
आस्थगित राजस्व खर्चे		313		—
		313		—

विविध आय

अनुसूची-10
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
अन्य विविध प्राप्तियां	92	131
देयताएं जो पुनः अपेक्षित नहीं	353	2406
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	87	40
	532	2577

जनरेशन ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्च

अनुसूची-11
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
क. जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्चे		
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जों की खपत	173	254
मरम्मत एवं रख-रखाव :		
क. भवन	34	102
ख. मशीनरी	156	129
ग. अन्य	227	476
घ. अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	74	55
आस्थगित राजस्व खर्चे के बट्टे खाते डाली गई राशि	78	—
ख. प्रशासनिक खर्चे		
किराया	—	6
दरें व कर	2	7
बीमा	8	30
बिजली प्रभारें	12	94
यात्राएं व वाहन	34	67
स्टाफ कारों पर खर्च	42	60

अनुसूची-11 *(जारी)*
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	10	29
परामर्शी प्रभारें	—	1
विज्ञापन व प्रचार	7	5
छपाई व स्टेशनरी	8	12
कारपोरेट कार्यालय में प्रबंधन खर्च	176	202
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	—	1
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. का प्रबंधन खर्च	57	163
शीघ्र भुगतान पर छूट	84	78
अन्य विविध खर्च	125	130
डेबिट शेष बट्टे खाते	—	51
सन्देहास्पद पेशगियों के लिए व्यवस्था	74	—
	1381	1952

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
वेतन, मजदूरी व भत्ते	1142	1823
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	143	130
स्टाफ कल्याण खर्च	64	273
	1349	2226

पूर्व अवधि समंजन

अनुसूची-13
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.93	31.3.92
बिजली की बिक्री	(2)	(51)
मूल्यह्रास	1	4
रॉयल्टी	—	17
वेतन व मजदूरी	(2)	(5)
मरम्मत व रख-रखाव	(17)	—
अन्य विविध	(66)	(19)
	(86)	(54)

लेखे और आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियांः

अनुसूची-14

1. निम्नलिखित के संबंध में मुख्य देयताएं नहीं दी गई हैं:-
   (क) कम्पनी के विरुद्ध दावे की राशि 35584 लाख रुपए बनती है, जिसे पावती के तौर पर नहीं दिया गया है (पिछले वर्ष 29891 लाख रुपए)।
   (ख) दुलहस्ती और उड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों के कंसोर्टियम द्वारा बिना शुल्क आयात किए गए निर्माण मशीनरी व कल-पुर्जों (स्पेयर्स) के पुनः निर्यात के लिए कंपनी द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 26021 लाख रुपए (पिछले वर्ष 18787 लाख रुपए) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए हैं।
   (ग) एजेंसी आधार पर निष्पादित की गई परियोजनाओं के मामले में डिपाजिट कार्यों और अनुदान-सहायता संबंधी मुख्य देयताओं को शामिल नहीं किया गया है, जो संबंधित प्राधिकारियों से वसूल की जानी है।
2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 208667 लाख रुपए बनती है (पिछले वर्ष 274701 लाख रुपए)।
3. "गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया फंड-एडजेस्टेबल टू इक्विटी" में निम्नलिखित शामिल हैं:-
   (क) सरकार से लिये गये ऋण की 180 लाख रुपए (पिछले वर्ष 180 लाख रुपए) ऋण की राशि, जिसे इक्विटी में बदलने के लिए सरकार सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है, के मामले में कुछ औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।
   (ख) भारत सरकार से प्राप्त 4385 लाख रुपए (पिछले वर्ष 6672 लाख रुपए) का आबंटन अभी लंबित है।
   (ग) 33160 लाख रुपए (पिछले वर्ष 33160 लाख रुपए) सलाल परियोजना में सरकार के फण्ड के हिस्से के रूप में हैं जो टिप्पणी सं. 4 में बताए अनुसार इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपचित ब्याज का हिस्सा है।
4. भारत सरकार की ओर से कारपोरेशन द्वारा एजेंसी आधार पर निष्पादित की जा रही सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) वास्तव में 1 नवम्बर, 1987 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरण की शर्तों और इस संबंध में कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने तक इस परियोजना के लेखे कारपोरेशन के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा कारपोरेशन को हस्तांतरित की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में पहले पालन किया गया था और जो नीचे दिए अनुसार हैं: –

   परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार से फण्ड-इन-फ्लो से 29764 लाख रुपए की प्राप्त राशि, परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत को भारत सरकार से निवेश के तौर पर और इक्विटी हिस्सा पूंजी के निर्गम द्वारा, समायोजित मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि उस तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गयी है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गयी ऋण की राशि क्रमशः 33160 लाख रुपए और 31070 लाख रुपए बनती है।

   शर्तों का निपटान लंबित होने पर अतिरिक्त ब्याज 6617 लाख रुपए (31.3.1992 तक दिए गए 5292 लाख रुपए सहित) की राशि ऋण की गैर अदायगी है और ब्याज को चालू देयताओं में शामिल किया गया है।
5. लाभभोगियों के साथ बिजली आपूर्ति करारों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। इन करारों को अन्तिम रूप दिये जाने तक लोकतक, बैरास्यूल, सलाल तथा टनकपुर परियोजनाओं से बेची गई बिजली क्रमशः 60.84, 38.28, 54.66 तथा 134.21 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. की दर से लेखे में ली गई है। फिर भी, लाभभोक्ता राज्यों के साथ हुए दर-समझौते से संबंधित विचार-विमर्श के आधार पर 2371 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिसे दर समायोजनों के लिए लाभ-हानि लेखा में भी दर्शाया गया है। इसे लेखे में लेते समय उपरोक्त तथ्यों तथा लाभभोक्ताओं की ओर लंबित ब्याज के भुगतान को ध्यान में रखा गया है।
6. चमेरा, टनकपुर, उड़ी तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाओं की संशोधित परियोजना लागत को सार्वजनिक निवेश बोर्ड तथा आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार 31.3.93 तक इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस राशि को इक्विटी में बदलने संबंधी मंजूरी लंबित होने के कारण इसे भारत सरकार के ऋण के रूप मे दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है तथा ब्याज के 5533 लाख रुपए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में वापस कर दिए गए हैं।
7. पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के (अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1993 के अनुसार नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नार्थ ईस्ट, इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बद्ध परिसम्पत्तियों तथा देयताएं (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) दिनांक 1.4.92 से भारत सरकार को सौंप दी गई हैं। इस हस्तांतरण की शर्तें व नियम आदि अभी अधिसूचित की जानी हैं अतः इनके लंबित होने के कारण पूरी राशि को भारत सरकार पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. से वसूली में दर्शाया गया है। इन ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ब्याज देयता सरकार पर नहीं दर्शायी गयी है। अतः समायोजन, यदि कोई हो, तो वह उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अन्तिम निर्णय होने पर किया जायेगा।

8. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवज़े की अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगी और प्रासंगिक खर्चों का समंजन, यदि कोई हो, अन्तिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने से भूमि का स्वामित्व कारपोरेशन को नहीं सौंपा गया है।

9. संचालित परियोजनाओं में निपटान/स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षारत अतिरिक्त निर्माण उपस्करों, जिनके लिए लेखा नीति सं. 2.2 (iii) के अनुसार कोई मूल्यह्रास चार्ज नहीं किया गया है, का मूल्य 2150 लाख रुपए (सकल ब्लॉक) है जो पिछले वर्ष 2331 लाख रुपए था।

10. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 7/ए-6/91-आईपीसी दिनांक 23.1.92 के अनुसार विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 1.4.92 से मूल्यह्रास की दरों में संशोधन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में मूल्यह्रास में 839 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

11. उड़ी परियोजना के मामले में:

   i) जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ लीज़डीड की शर्तों व नियमों को अन्तिम रूप देने का मामला लंबित होने के कारण खरीदी गई तथा अधिग्रहण की गई भूमि की लीज़ की अवधि अस्थाई तौर पर 90 वर्ष ली गई है।

   ii) जम्मू-कश्मीर में कानून व व्यवस्था की स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण 494 लाख रुपए (जिसमें 80 लाख रुपए के प्राप्त होने वाले पेंडिंग बिल शामिल हैं) मूल्य के पूंजी निर्माण भंडारों का प्राइस्ड स्टोर लेखों और बिन-कार्डों से सत्यापित तथा समाधान नहीं किया जा सका है। खपत, प्राप्तियां, कमी/वृद्धि सहित समायोजन, यदि कोई हों, भंडार से समाधान के समय किए जाएंगे।

   iii) जम्मू-कश्मीर राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की गंटामुल्ला में परियोजना के कब्ज़े की भूमि तथा पुरानी बिल्डिंग की कीमत के लिए नियम व शर्तों के लंबित होने के कारण लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसके लिए पी.डी.डी. द्वारा 83 लाख रुपए की मांग की गई है। इस पर अभी पत्राचार चल रहा है अतः निपटान के बाद इसे लेखे में लिया जाएगा।

   iv) मूल्यह्रास में पिछले वर्षों में उपयोग में ली गई 185 लाख रुपए, जिनमें 5 लाख रुपए पिछले मूल्यह्रास के बकाया भी शामिल हैं, मूल्य की स्थिर परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है और इसे प्रबंधवर्ग द्वारा सत्यापित किया गया है। यह एक तकनीकी मामला होने के कारण लेखा परीक्षकों ने इसी पर विश्वास कर लिया है।

   v) ठेका कार्यों के लिए बिक्रीकर देयता की गणना अनन्तिम तौर पर की जा रही है। समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम मूल्यांकन के समय किया जाएगा।

12. वर्ष के दौरान टनकपुर परियोजना की सभी तीनों यूनिटें संस्थापित कर दी गई थीं। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उत्पादन को स्टेबलाइज्ड नहीं किया गया है अतः दिनांक 31.3.1993 तक परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन घोषित नहीं किया गया। तद्नुसार बिजली की बिक्री व उत्पादन पर होने वाले खर्चे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाले गए हैं।

13. सलाल परियोजना के मामले में:-

   i) यूनिट ने 4.81 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त स्टोर्स की पहचान की है जिनकी दूसरी यूनिटों में निपटान/स्थानांतरण की प्रतीक्षा है।

   ii) सलाल चरण-I से सलाल चरण-II पर डाले गए सामान्य खर्चे को एक तकनीकी मामला होने के कारण लेखा परीक्षकों ने कारपोरेट कार्यालय के प्रबंधन वर्ग के सत्यापन पर विश्वास किया है।

   iii) पूंजीकृत और की गई सेवाओं तथा स्वीकार्य कार्यों के लिए वृद्धि तथा अतिरिक्त मदों की देयता को क्रमशः वृद्धि और दरों को अंतिम अनुमोदन के समय हिसाब में लिया जाएगा।

   iv) परिसंपत्तियों को भारी मरम्मत के लिए खर्च की गई राशि के 391 लाख रुपयों को आस्थगित राजस्व खर्च में हस्तांतरित किया गया है जो 5 वर्षों के बाद बट्टे खाते डाले जाने हैं।

14. कुछ परियोजनाओं के ठेकेदारों को दिए गए माल सामग्री, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियाँ, विविध खर्चों, ऋणों व पेशगियों, विविध जमा और ठेकेदारों से जमा/उपचित राशि आदि समाधान/पुष्टिकरण के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, समाधान/पुष्टिकरण के समय किया जाएगा।

15. दिनांक 1.1.1989 को अथवा उसके बाद नियुक्त कार्यपालकों/सुपरवाइजरों के वेतनमान मई, 1993 माह में दिनांक 1.1.1989 से संशोधित किए गए हैं। विस्तृत गणना लंबित होने के कारण दिनांक 31.3.93 तक वेतन के बकाया के लिए देयता की व्यवस्था नहीं की गई है। इस देयता को भुगतान वर्ष में डाला जाएगा। अतः इससे वर्ष के लाभांश पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम के विश्वव्यापी लेखों के लंबित होने के कारण वर्ष 1991-92 में बिलों के बिना बिजली बिक्री के 156 लाख रुपए की राशि को "विभिन्न देनदारियों" के लेखे में डाला गया है।

17. उड़ी तथा दुलहस्ती परियोजनाएं ठेकेदारों द्वारा टर्नकी आधार पर निष्पादित की जा रही हैं। ठेकेदारों को कार्य आबंटित करने से पहले कारपोरेशन ने कुछ कार्य पूरे कर लिए थे। डिज़ाइन के अनुसार सही पाये गए ऐसे कार्यों के लिए ठेकेदारों को लागत के आधार पर क्रेडिट दिया जाएगा। ऐसे कार्यों का निर्धारण न हो पाने के कारण समायोजन नहीं किया गया है।

18. बैंकों द्वारा दर्शाए गए कुछ अधिक/गलत खर्चे/जमाएं आदि को बैंकों की समाधान सारणी में दर्शाया गया है। इन मदों के लिए बैंकों से पत्राचार किया जा रहा है।

समायोजन, यदि कोई हो, को प्राप्त होने पर निपटान के समय लेखा बहियों में दर्ज किया जाएगा।

19. कारपोरेशन ने जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रेच्यूटी पॉलिसी अपना रखी है जो दिनांक 31.3.91 तक के लिए थी। इस पॉलिसी को दिनांक 1.4.1991 को निरस्त कर दिया गया है और 1.4.1991 के बाद की सभी देयताएं बिना वास्तविक मूल्यांकन के अनुमानित आधार पर दी जा रही हैं। समायोजन, यदि कोई हो, तो देयता निर्धारित किए जाने वाले वर्ष में किया जाएगा।

		1992-93	1991-92
20.	मात्रात्मक विस्तारः (टनकपुर को छोड़कर)		
i)	लाइसैंसीकृति क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	648	648
iii)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	3474	3567
iv)	विद्युत की खरीद (मि.यू.)	—	1432
v)	वास्तविक बिक्री (मि.यू.)	3424	4940

		रुपए लाखों में	प्रतिशत	रुपए लाखों में	प्रतिशत
21.	क. सी.आई.एफ. आधार पर आयातित पूंजीगत सामान की कीमत	14530		3492	
	ख. खर्च विदेशी मुद्रा में				
	i) जानकारी	1662		—	
	ii) ब्याज	5153		3594	
	iii) अन्य विविध मामले	18086		35902	
	ग. विदेशी मुद्रा में अर्जन				
	i) ब्याज	1452		918	
	घ. चालू परियोजनाओं में उपयोग में लाये गये अतिरिक्त पुर्जों व अवयवों का मूल्य				
	i) आयातित	—		—	
	ii) देशी	173	100	254	100

22. आरक्षित ऋण के 14246 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) अनारक्षित ऋण 13392 लाख रुपए (पिछले वर्ष 17053 लाख रुपए) का पुनर्भुगतान एक वर्ष के अंदर किया जायेगा।

23. आयकर की देयताओं के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि कर योग्य आय की गणना नहीं की गई है।

24. पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः एकत्रीकरण/पुनः मिलान किया गया था और जहां आवश्यक था वहां चालू वर्ष के आंकड़ों से भी मिलान किया गया है।

एन.सीतारमन
सचिव

ए.आर. रामामूर्ति
प्रमुख (वित्त व लेखा)

के.के. वोहरा
निदेशक (वित्त)

अजय दुआ
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 सितम्बर, 1993

ए.के. जैन
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1993 के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परियोजनाओं/यूनिटों का लेखापरीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट है कि :—

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्माता व अन्य कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित है, कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबन्ध में संलग्न किया है।

2. उपर्युक्त के अलावा हमारी रिपोर्ट है कि :—

i))सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-I के मामले में लेखों को कारपोरेशन के इस वर्ष के लेखों में सम्मलित किया गया है। यह विद्युत व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 9.2.1989 के पत्र सं. 4 (1) 78 डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) और दिनांक 12.7.91 के पत्र संख्या 4 (1)/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों के विशेषज्ञों की कानूनी सलाह के आधार पर परियोजना का स्वामित्व हस्तांतरण लंबित होने के विषय में विचार करने के बाद किया गया है। इस परियोजना को कारपोरेशन के स्वामित्व में हस्तांतरित करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

ii) नोट संख्या 5 अनुसूची 14 में दिए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और अन्य एजेंसियों से बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अनंतिम दरों/मीटर रीडिंग के आधार पर लेखे में लिया गया है क्योंकि लाभभोक्ताओं के साथ बिक्री संबंधी करारों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस लेखे में लाभ पर पड़े प्रभाव का निर्धारण करारों को अंतिम रूप दिए जाने तक नहीं किया जा सकता है।

iii) नोट संख्या 7, अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे भारत सरकार को ट्रांसमिशन लाइनों के हस्तांतरण संबंधी लेखों के लंबित निपटान के संबंध में हैं।

iv) नोट संख्या II (ii) में दिए गए ब्यौरे 494 लाख रुपए मूल्य के पूंजीगत निर्माण भंडारों का मूल्य भंडार खाते से सत्यापन और समाधान नहीं हुआ है। और इसके परिणामस्वरूप उड़ी जल-विद्युत परियोजना में खपत/प्राप्ति में कमी और अधिकता का समायोजन नहीं हुआ है।

v) नोट संख्या 13 अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे सलाल जल विद्युत परियोजना में पूंजीगत कार्यों के लिए अतिरिक्त मदों में वृद्धि और सम्पन्न व स्वीकार किए गए कार्यों में वृद्धि और दरों की मंजूरी लंबित होने के कारण देयताओं की व्यवस्था न होने के संबंध में है।

vi) नोट संख्या 13 (iv) अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे सलाल जल विद्युत परियोजना में आस्थगित राजस्व व्यय के लिए 391 लाख रुपए हस्तांतरित करने के संबंध में हैं।

vii) नोट संख्या 14 अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे ठेकेदारों को दी गई सामग्री, पूंजीगत व्यय के लिए पेशगी, विविध देनदारों, लेनदारों, कुछ परियोजनाओं में ठेकेदारों व अन्यों से जमा/धरोहर राशि के समाधान/पुष्टि न होने के संबंध में है।

viii) नोट संख्या 18 अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे बैंकों द्वारा दी गई और बहियों में समायोजित न की गई कुछ अधिक/गलत डेबिट और क्रेडिट के संबंध में है। इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

ix) नोट संख्या 19 अनुसूची 14 में दिए गए ब्यौरे बीमांकिक मूल्यांकन के बगैर अनुमानित आधार पर वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के प्रावधान के संबंध में है। इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

x) शाखा लेखापरीक्षकों ने अपने लेखापरीक्षित परियोजनाओं/यूनिटों के संबंध में रिपोर्ट दी है कि :—

(क) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना में मुख्य मालसूची और ऋण व पेशगी के अंतर्गत वर्गीकृत कुछ लेखा शीर्षों के पिछले वर्ष से संबंधित लेन-देन के ब्यौरे परियोजना में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रबंधवर्ग का कहना है कि ये ब्यौरे आग में जल कर नष्ट हो गए हैं।

(ख) दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टम (जम्मू व कश्मीर) में सम्बद्ध विभागों से अंतिम बिल प्राप्त किए बिना परियोजना के साइट इंजीनियर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य सरकारी विभागों में जमा 4818273 रुपए की राशि सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तांतरित कर दी गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त :

(क) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे विचार से, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कारपोरेशन ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

पैरा 2 में संदर्भित मामले व लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र पर इसके अनुवर्ती प्रभाव के अधीन संलग्न अनुसूचियों व लेखा नीतियों के साथ कथित लेखे और उन पर टिप्पणियां सही व स्पष्ट विचार प्रस्तुत करती हैं :—

i) 31 मार्च, 1993 को कारपोरेशन के कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र के मामले में।

ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लाभ संबंधी लाभ व हानि लेखा के मामले में।

कृते व की ओर से
सुमेर बंसल व कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितम्बर, 1992

ए.के. जैन
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संबंध में :

1. कारपोरेशन ने स्थिर परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से के बारे में रिकार्ड रखे हैं लेकिन कुछ मांमलों में रखे गए रिकार्डों में स्थिति नहीं दर्शायी गई है। प्रबंध वर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं में परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है। कुछ मामलों में रिपोर्टें मिलान के अधीन है जिसके कारण इन परियोजनाओं में कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। अन्य परियोजनाओं में जहां वास्तविक सत्यापन किया जा चुका है, कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुनःमूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में माल सूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति कारपोरेशन के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है।

4. दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को छोड़कर जहां पता चली कमियां समाधान/सत्यापन के अधीन हैं, भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल के वास्तविक सत्यापन के समय उनमें पाई गई कमियाँ वर्ष के दौरान लेखे में समायोजित कर दी गई हैं। इसमें कमियों की पहचान समाधान/सत्यापन के अधीन है।

5. मालसूचियों का मूल्य कीमत के अनुसार लिया गया है और वर्ष के अन्त में भंडार बहियों के साथ मिलान किया गया है। केवल दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, उड़ी जल विद्युत परियोजना और धौलीगंगा-। जल विद्युत परियोजना के संबंध में मालसूची का मूल्य सामान्य खाते के अनुसार लिया गया है जो मानक (स्वीकृत) लेखा सिद्वान्तों के अनुसार नहीं है और जिसका वर्ष के अन्त में भंडार बहियों के साथ मिलान नहीं किया गया है।

6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 370 (1-बी) के अन्तर्गत कंपनी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों/फर्मों या अन्य पार्टियों से कारपोरेशन ने आरक्षित या अनारक्षित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।

7. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों, जिनकी शर्तें प्रथम दृष्टि में कंपनी के हित में नहीं थीं, को कारपोरेशन ने कोई ऋण नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1-बी) के अनुसार इस प्रबंध वर्ग के अन्तर्गत और कोई कंपनियां नहीं हैं।

8. कारपोरेशन ने कारपोरेशन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेशगी के रूप में ऋण दिए हैं जो सामान्यतः निर्दिष्ट ढंग से मूल राशि लौटा रहे हैं और ब्याज जहां लागू है, की अदायगी भी सामान्यतः नियमित रूप से कर रहे हैं।

9. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भण्डारों, कच्चे मालों, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कारपोरेशन के कार्यों के अनुरूप है।

10. जैसा कि हमें बताया गया है बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे मालों की पहचान के लिए कारपोरेशन के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय लेखे की बहियों में की जाती है।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए लागू नियमों के अन्तर्गत कारपोरेशन ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन में रद्दी सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।

13. कारपोरेशन में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है लेकिन कारपोरेशन के आकार और व्यवसाय की किस्म को ध्यान में रखते हुए इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

14. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

15. कारपोरेशन भविष्य निधि के देयताओं को नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराती रही है। हमें बताए गए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कारपोरेशन पर लागू नहीं होते।

16. 31 मार्च, 1993 को आयकर, सम्पत्ति-कर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं है।

17. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत खर्चे जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को छोड़कर, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

18. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में कारपोरेशन घाटा औद्योगिक कारपोरेशन नहीं है।

19. एजेंसी कार्यों/डिपाजिट कार्यों के संबंध में :—

i) कारपोरेशन में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग में ली गई सामग्रियों और मानव घण्टों के युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था है।

ii) कार्यों के लिए भंडार जारी करने और भंडारों के आबंटन तथा श्रमिक संबंधी अपेक्षित नियंत्रण सहित उचित स्तरों पर प्राधिकरण की समुचित पद्धति मौजूद है। कारपोरेशन के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

कृते व की ओर से
सुमेर बंसल व कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितम्बर, 1993

ए.के. जैन
भागीदार

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधवर्ग द्वारा उनके उत्तर

टिप्पणियां

तुलन-पत्र

निधियों का उपयोग

चालू पूंजीगत कार्य (अनुसूची-5)

1. **निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) 141768 लाख रुपए**

इस खर्च में सीधे आवंटित निर्माण कार्यों (चालू पूंजीगत कार्य) के लिए विदेशी परामर्शी प्रभारों पर आयकर के रूप में दिए गए 120 लाख रुपए भी शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप आई.ई.डी.सी. और निर्माण कार्यों में 120 लाख रुपये का क्रमशः अतिविवरण और अधिविवरण हुआ है।

2. **चालू देयताएं व प्रावधान (अनुसूची-8)**

विविध देनदारियां — 3495 लाख रुपए

उपर्युक्त राशि में बी.एच.ई.एल., भोपाल से 31. मार्च, 1993 से पहले प्राप्त उपस्कर के 178.70 लाख रुपए शामिल नहीं हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप विविध देनदारियों और मार्गस्थ सामग्री में 178.70 लाख रुपए का अधिविवरण हुआ है।

3. **लाभ व हानि लेखा**

वर्ष में लाभ — 4235 लाख रुपए

उपर्युक्त राशि में टनकपुर परियोजना से 9.7.1992 से 31.3.93 तक की अवधि के दौरान हुई 500 लाख रुपए की हानि शामिल नहीं है। यद्यपि यह परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार थी तथापि वास्तव में इस परियोजना से दिनांक 9.7.92 से नियमित विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 500 लाख रुपए का अतिविवरण हुआ है।

उत्तर

1. विदेशी परामर्शदाताओं पर आयकर के रूप में हुए खर्च को "निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च" में लिया गया है और बिना किसी बाधा के इस शीर्ष के अंतर्गत चार्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, "निर्माण कार्य", और "निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च" से संबंधित प्रभारों के लिए हुए खर्च को "चालू पूंजीगत कार्य" में शामिल किया गया है और तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि लेखा को प्रभावित किए बिना परस्पर समायोजित किया गया है।

2. कार्य स्थल पर सामग्री प्राप्त न होने के कारण कारपोरेशन की लेखा नीति सं. 8 के अनुसार देयताएं नहीं दी गईं।

3. कारपोरेशन ने वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे की अनुसूची-14 के नोट सं. 12 में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि टनकपुर जल विद्युत परियोजना की तीनों उत्पादन यूनिटें वर्ष के दौरान एक ही समय में बनाई गई थीं। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बिजली उत्पादन स्थिर नहीं हो पाया था और संस्थापित क्षमता की तुलना में बिजली उत्पादन बहुत ही कम हुआ था। अतः परियोजना को वाणिज्यिक संचालन के लिए घोषित नहीं किया गया। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "निर्माण अवधि के दौरान खर्च का प्रतिपादन" के संदर्भ में किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि परियोजना को पूंजीकृत करने की कट-ऑफ तारीख उस परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार होने पर सरकारी तौर से मान्य तारीख पर आधारित है। वाणिज्यिक उत्पादन का महत्व मात्र उत्पादन से विस्तृत है। परीक्षणों के बाद प्लांट वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार है और उसके आधार पर प्लांट पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। वाणिज्यिक उत्पादन का अर्थ उचित मात्रा में तथा वाणिज्यिक एवं वास्तविक रूप से वाणिज्यिक उत्पादन करना है।

(कंवल नाथ)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक व
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 1993

31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में कारपोरेशन की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है:—

(रुपए लाखों में)

	1990-91	1991-92	1992-93
देयताएं			
क) i) प्रदत्त पूंजी	161930	192241	225523
ii) इक्विटी पूंजी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकार की निधियां	42603	40012	37725
ख) आरक्षित तथा अधिशेष :			
i) फ्री आरक्षित व अधिशेष	23357	23357	23357
ii) सौंपा गया आरक्षित	835	5765	9914
ग) उधार :			
i) भारत सरकार से	55922	56655	53175
ii) विदेशी संस्थानों से	27467	55520	71281
iii) वित्तीय संस्थानों से	—	—	10000
iv) बांडों से	100749	120346	126091
v) अन्य	—	—	750
घ) चालू देयताएं और प्रावधान :	39514	41638	34465
कुल	452377	535534	592281
परिसंपत्तियां			
च) सकल ब्लॉक	144232	148323	122933
छ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	20792	25174	26621
ज) शुद्ध ब्लॉक	123440	123149	96312
झ) चालू पूंजीगत कार्य	184833	269929	299404
ट) निर्माण भंडार व पेशगियां	73103	92703	102457
ठ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	70997	49753	93795
ड) विविध खर्चे (बट्टे खाते या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)	4	—	313
कुल	452377	535534	592281
नियोजित पूंजी (ज+ट–घ)	154923	131264	155642
शुद्ध मूल्य (क+ख [ट] –ड)	227886	255610	286292
प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया शुद्ध मूल्य	1.11	1.10	1.09

2. पूंजी संरचना — ऋण इक्विटी अनुपात

ऋण इक्विटी अनुपात वर्ष 1990-91 में 0.81:1 से बढ़कर वर्ष 1991-92 और 1992-93 में 0.91:1 हो गया।

3. नकदी व ऋणशोध क्षमता

क) कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1990-91 में 15.69 से घटकर 1991-92 में 9.29 हो गई और 1992-93 में बढ़कर 15.84 हो गई।

ख) चालू देयताओं और प्रावधानों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता जो कि ऋणशोध क्षमता का एक मानदंड है, वर्ष 1990-91 में 179.68 से घटकर 1991-92 में 119.49 हो गई तथा 1992-93 में बढ़कर 272.14 हो गई।

ग) चालू देयताओं, (प्रावधानों को छोड़कर) जो कि ऋणशोध क्षमता का एक अन्य मानदण्ड है, में द्रुत परिसंपत्तियों (विविध लेनदारियां, नकद व बैंक बैलेंस और ऋण व पेशगियां) की प्रतिशतता 1990-91 में 175.14 थी, जो कि 1991-92 में घटकर 114.94 हो गई तथा 1992-93 में बढ़कर 266.38 हो गई।

4. कार्यकारी पूंजी

कारपोरेशन की कार्यकारी पूंजी (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व पेशगियां, घटा चालू देयताएं) 31 मार्च, 1993 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31483 लाख रुपए, 8115 लाख रुपए तथा 59330 लाख रुपए थी। कार्यकारी पूंजी में टर्नओवर की प्रतिशतता 1990-91 में 71.13, 1991-92 में 300.60 और 1992-93 में 30.15 थी।

5. निधियों के स्रोत और उपयोग

65367 लाख रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ली गईं और वर्ष के दौरान उनका उपयोग नीचे दिए अनुसार किया गया :—

निधियों के स्रोत		(रुपए लाखों में)
i) इक्विटी पूंजी में वृद्धि		30995
ii) आरक्षित व अधिशेष में वृद्धि		4149
iii) उधार ली गई पूंजी में वृद्धि		28776
iv) संचयी मूल्यह्रास में वृद्धि		1447
कुल		65367
निधियों का उपयोग		
i) सकल ब्लॉक, चालू पूंजीगत कार्य तथा निर्माण भण्डार व पेशगियों में वृद्धि		13839
ii) विविध खर्चों में वृद्धि		313
iii) कार्यकारी पूंजी में वृद्धि :		
चालू परिसंपत्तियों, ऋण व पेशगियों में वृद्धि	44042	
जोड़ें : चालू देयताओं व प्रावधानों में कमी	7173	51215
कुल		65367

6. कार्यकारी पूंजी

वर्ष	टर्नओवर	लाभ	लाभ की प्रतिशतता			
			टर्नओवर	नियोजित पूंजी	इक्विटी पूंजी	शुद्ध मूल्य
	(रुपए लाखों में)					
1990-91	22395	5276	23.6	3.4	2.6	2.3
1991-92	24394	4930	20.2	3.8	2.1	1.9
1992-93	17890	4149	23.2	2.7	1.6	1.5

7. मालसूची

31 मार्च, 1993 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर भण्डार व कलपुर्जों तथा खुले औजारों की कीमत क्रमशः 1792 लाख रुपए, 1894 लाख रुपए तथा 1988 लाख रुपए थी।

8. विविध ऋण

पिछले तीन वर्षों के विविध ऋण तथा टर्नओवर नीचे दिए गए हैं :—

(रुपए लाखों में)

तारीख को	विविध ऋण			टर्नओवर	टर्नओवर में ऋणों की प्रतिशतता
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	कुल		
31 मार्च, 1991	14780	2834	17614	22395	79
31 मार्च, 1992	19866	4171	24037	24394	99
31 मार्च, 1993	19179	6542	25721	17890	144

पिछले सभी तीन वर्षों की टर्नओवर में ऋणों की प्रतिशतता काफी ज्यादा थी। इसके लिए क्रेडिट पॉलिसी की उचित समीक्षा तथा मॉनिटरिंग की जरूरत है।

(कंवल नाथ)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक
व पदेन-सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली।

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
क. उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 1,44,000/- रुपये से कम नहीं था।						
सर्वश्री						
अप्पाराव, वाई.एम. मुख्य इंजीनियर	1,66,025	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.ई. (हाइड्रो पावर) (24 वर्ष)	01.08.77	47	सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग
बाल मुकुन्द मुख्य इंजीनियर	1,78,021	नियमित	बी.एस.सी., इंजी., (मैक.) (22 वर्ष)	16.12.78	44	सहायक इंजीनियर, ई.आई.एल.
बंदोपाध्याय, एम.आर. प्रमुख	1,82,437	नियमित	एम.एस.सी. (एप्लाइड जियोलॉजी) (31 वर्ष)	29.12.80	56	जियोलॉजिस्ट (वरि.) जी.एस.आई.
भारद्वाज, एस.आर. प्रमुख	1,65,048	नियमित	एम.ए. (इंग्लिश), डिप्लोमा इन जर्नेलिज़्म, डिप्लोमा इन मार्किटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट (32 वर्ष)	11.09.81	50	जन संपर्क अधिकारी, नेशनल फर्टिलाइजर लि.
बृजेश कुमार प्रमुख	1,58,393	नियमित	एम.ए. (पोलिटिकल साइंस), एम.ए. (एल.एस.डब्ल्यू.), (बी.एन.) (27 वर्ष)	12.07.78	54	कार्मिक अधिकारी, बोकारो स्टील लि.
चंदोक, विमल प्रबंधक	1,56,463	बी.एस.एफ., जम्मू से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ए. (30 वर्ष)	19.11.87	49	डिप्टी कमांडेंट, बी.एस.एफ.
डिवेटिया, ई. (कु.) निदेशक (तकनीकी)	1,89,131	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (सिविल), एम. टैक., (स्ट्रक्ट.) (34 वर्ष)	22.03.79	55	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
गंगोपाध्याय, ए.के. मुख्य इंजीनियर	1,74,627	नियमित	बी.ई. (सिविल) (27 वर्ष)	10.09.81	47	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण कार्यालय, गोवा, दमन व दियू सरकार, पणजी
गर्ग, एम.पी. प्रबंधक	1,46,222	नियमित	बी.ई. (सिविल) (26 वर्ष)	24.09.85	48	कार्यप्रभारी अधीक्षण इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
गुलाटी, विनोद प्रमुख	1,85,977	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.), पी.जी. इन इलै., मैक. इंजी., डिप्लोमा इन एडव.डब्ल्यू.एस., डिप्लोमा इन ई.डी.पी., पी.जी. डिप्लोमा इन पी.एम. एण्ड आई.आर. (26 वर्ष)	01.03.80	46	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता, जी.सी. डिप्टी सी.एम.ओ.	1,62,133	नियमित	एम.बी.बी.एस. (23 वर्ष)	24.04.81	46	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता, एम.एल. महाप्रबंधक	1,50,254	नियमित	बी.एस.सी., इंजी. (मैक.) (25 वर्ष)	29.04.80	48	उप प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
गुप्ता, वी.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,72,564	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (इलै.) (20 वर्ष)	30.01.81	45	इंजीनियर, एस.ए.ई., (इंडिया) लि.
हाशिया, एम.एल. मुख्य इंजीनियर	1,63,070	नियमित	बी.ई. (सिविल) (33 वर्ष)	23.07.81	56	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
जैन, ए.के. महाप्रबंधक	1,93,707	नियमित	बी.कॉम., ए.सी.ए. (24 वर्ष)	28.11.78	47	उप लेखा प्रबंधक, इफको, नई दिल्ली
जसवाल, जे.एम.एस. मुख्य इंजीनियर	1,98,588	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (30 वर्ष)	04.06.90	52	मुख्य इंजीनियर (अन्वेषण), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
कंजलिया, वी.के. मुख्य इंजीनियर	1,63,997	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (इलै.), एम.एस.सी. (इंजी.) (23 वर्ष)	08.05.79	47	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
खर, पी.एन. कार्यपालक निदेशक	1,87,836	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई., एम.आई.ई., एम.आई.ए.एच.आर. (37 वर्ष)	15.05.78	57	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
खन्ना, एम.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	1,55,351	नियमित	बी.ई. (मैक.) (24 वर्ष)	27.03.79	46	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर देव बोर्ड
खुंगर, जे.एन. मुख्य इंजीनियर	1,75,784	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (सिविल) (29 वर्ष)	06.08.77	53	कार्यपालक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
कोछड़, जे.एन. महाप्रबंधक	1,72,708	नियमित	बी.ए. (33 वर्ष)	10.08.81	57	सिविलियन अधिकारी ग्रेड-I, महानिदेशक का कार्यालय, बार्डर रोड्स
खज़ांची, आर.एन. मुख्य इंजीनियर	1,57,959	नियमित	बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	03.09.83	51	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
कृष्ण मोहन, प्रमुख	1,68,130	नियमित	एम.ए. (लेबर एण्ड सोशल वेलफेयर) (29 वर्ष)	05.06.78	55	उप प्रबंधक (कार्मिक), भारत कुकिंग कोल लि.
कृष्णामूर्ति, एम. मुख्य इंजीनियर	1,67,307	नियमित	बी.ई. (इलै.), सीनियर डिप्लोमा इन जर्मन, डिप्लोमा इन रशियन (28 वर्ष)	29.06.81	52	उप प्रबंधक, एन.टी.पी.सी.
मित्तल, के.के.	1,72,396	नियमित	एम.बी.बी.एस.	17.02.78	49	—

डिप्टी सी.एम.ओ.			(22 वर्ष)			
मित्तल, एस.के. कार्यपालक निदेशक	1,95,010	नियमित	बी.ई. (इलै.) (33 वर्ष)	23.05.78	57	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
नागभूषण, के.एम. महाप्रबंधक	1,61,574	नियमित	बी.ई. (सिविल) (37 वर्ष)	31.03.80	59	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
नन्द गोपाल मुख्य इंजीनियर	1,84,648	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई. (स्ट्रक्चर्स) (26 वर्ष)	03.04.80	51	उप प्रबंधक, टी.एस.पी. लि., तुंगभद्रा बांध
नायडू, बी.एस.के. मुख्य इंजीनियर	1,65,859	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स), (मैक.) एम. टैक. (हाइडल), एम.आई.ए.एच.आर., एफ.आई.ई. (23 वर्ष)	28.02.82	47	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
रामामूर्ति, ए.आर. प्रमुख	1,62,372	नियमित	बी.ए., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए., ए.सी.एस. (39 वर्ष)	11.08.78	56	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
रामन, एन.वी. कंपनी सचिव व महाप्रबंधक	1,85,154	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी., जी.डी.सी.एस., ए.सी.एस., आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इंटर), डिप्लोमा इन लेबर लॉ (36 वर्ष)	15.12.78	56	उप कंपनी सचिव; इंजीनियर्स इंडिया लि.
राव, पी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,69,505	नियमित	ए.एम.आई.ई., डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट एण्ड इंड. एडमिन. (33 वर्ष)	12.03.81	54	डिविज़नल इंजीनियर, रिहैबिलिटेशन रेक्लेमेशन आर्गेनाइज़ेशन, रिहैबिलिटेशन विभाग, भारत सरकार
रस्तोगी, वी.पी. मुख्य इंजीनियर	1,56,919	नियमित	ए.एम.आई.ई. डिप्लोमा इन इंड. एडमिन. (35 वर्ष)	09.06.81	53	वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
सचदेवा, एस.के. कार्यपालक ड्राफ्ट्समैन	1,55,487	नियमित	डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप (28 वर्ष)	19.02.77	50	—
शर्मा, बी.के. मुख्य इंजीनियर	1,60,987	नियमित	बी. टैक. (सिविल), एम. टैक. (सॉयल मैक. एण्ड फाउंडेशन इंजी.) (29 वर्ष)	18.07.81	52	अनुसंधान इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लस्रुह (पश्चिमी जर्मनी)
शर्मा, ओ.पी. मुख्य इंजीनियर	1,68,698	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (सिविल) (31 वर्ष)	15.06.78	55	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना
शर्मा, पी.डी. मुख्य इंजीनियर	1,67,772	नियमित	ए.एम.आई.ई., डिप्लोमा इन इलै. इंजी, एल.एल.बी., एफ.आई.ई. (29 वर्ष)	29.08.77	49	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
शर्मा, आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,86,266	नियमित	बी.ई. (इलै.), पी.जी. डिप्लोमा इन इलै. इंजी., डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट (24 वर्ष)	31.08.78	46	सहायक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
सिंह, जी.पी. निदेशक (परियोजनाएं)	1,89,101	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी. इंजी (इलै.) (33 वर्ष)	26.11.87	57	वरिष्ठ प्रबंधक (हाइड्रो) केन्या लाइटिंग कं.
सिंह, आर.डी.पी. मुख्य इंजीनियर	1,68,534	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (26 वर्ष)	21.03.79	49	भारतीय सेना में मेजर
सुब्रामनि, सी.जी. महाप्रबंधक	1,69,404	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.आई.ई. (32 वर्ष)	03.10.79	55	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स विभाग
सिन्हा, बी.एस.पी. महाप्रबंधक	1,90,313	नियमित	बी.ए., एम.आई.एम.एम., (यू.के.) (30 वर्ष)	03.06.81	53	प्रबंधक बी.एच.ई.एल.
सूरी, बी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,83,915	नियमित	बी.एस.सी., इंजी. (इलै.), पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट (17 वर्ष)	12.07.82	57	अधीक्षण इंजीनियर (इलै.) पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर
वैंक्टेश, सी.आर. मुख्य इंजीनियर	1,65,814	नियमित	बी.ई. (सिविल), (स्ट्रक्चर्स) (17 वर्ष)	29.10.81	48	वैज्ञानिक, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट
विश्वनाथन, एन. महाप्रबंधक	1,83,770	नियमित	एम.ई. (सिविल), (पावर इंजी) (29 वर्ष)	17.09.79	53	सहायक मुख्य इंजीनियर, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
यादवेन्द्रा, आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,47,726	नियमित	एम.एस.सी. (मैक. इंजी.), एम.बी.ए. (27 वर्ष)	01.01.82	51	उप निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय (एस.एस.एस.आई.)

ख. उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 12,000/- रूपए प्रतिमास से कम नहीं था।

हाई, एम.ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1,77,930	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (मैक.), एफ.आई.आई.पी.एम.	10.03.89	58	निदेशक (तकनीकी), एन.टी.पी.सी.
सेन, एस.सी. निदेशक (तकनीकी)	1,14,995	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (सिविल), एफ.आई.ई. (37 वर्ष)	31.08.84	58	मुख्य इंजीनियर, असम राज्य विद्युत बोर्ड
वर्मा, ब्रिगे. आर.के. निदेशक (कार्मिक)	1,68,253	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी., पी.जी. इन डिफेंस स्टडीज़, पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट; लेबर लॉ एण्ड एक्सन. मार्किटिंग मैनेजमेंट (38 वर्ष)	15.05.89	58	भारतीय सेना में ब्रिगेडियर
बोहरा, के.के. निदेशक (वित्त)	39,254	सरकारी नियुक्ति	बी.ए. (ऑनर्स), डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट, एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए., जी.डी.सी.एस., एफ.सी.एस., एफ.आई.ए.एम., एफ.बी.आई.एम. (लंदन) (25 वर्ष)	31.12.92	56	कार्यपालक निदेशक (वित्त) बालको, नई दिल्ली

टिप्पणियाँ :

(1) उपरोक्त कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, कारपोरेशन पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं — कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि।
(ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।
(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसत पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, औसतन से अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कारपोरेशन के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

सीनियर कार्यपालकगण

कार्यपालक निदेशकगण

श्री पी.एन. खर

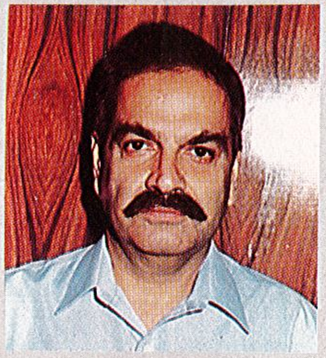

श्री जे.ए. शहमीरी

श्री एस.के. मित्तल

महाप्रबंधकगण

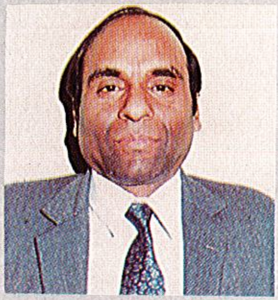

श्री ए.के. जैन

श्री योगेन्द्र प्रसाद

श्री एन. विश्वनाथन

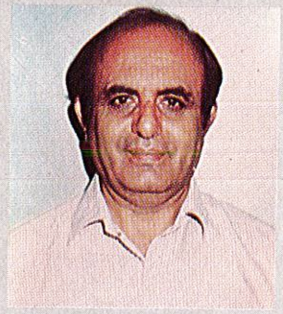

श्री सी.जी. सुब्रामणि

श्री पी.डी. प्रसादाराव

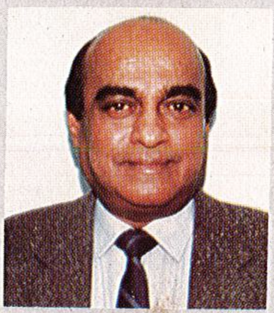

श्री के.एम. नागभूषण

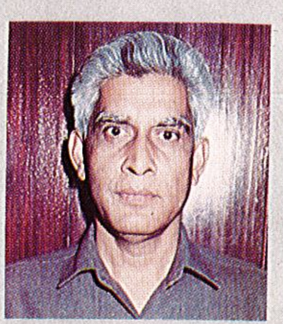

श्री एम.एल. गुप्ता

श्री बी.एस.पी. सिन्हा

श्री जे.एम. कोछड़

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : हेमकुण्ट टावर, 98, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110 019

Designed by RE'ACT/Printed at Mayar Printers, New Delhi.